हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

02 अगस्त, 2019

खण्ड–2, अंक–1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 02 अगस्त, 2019

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

जिला यमुनानगर के पत्रकारों का स्वागत

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई सूचना

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज़ के नामों की सूची

(ii) सदस्यों के त्याग पत्र

(ख) सचिव द्वारा

*राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

वाक–आउट

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

विभिन्न मामले उठाना

विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा वापिस लेना

(i) श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. के विरूद्ध

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 02 अगस्त, 2019

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 02:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में शोक प्रस्ताव रखेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद और इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले जो महान विभूतियां इस संसार को छोड़कर चली गई हैं, ऐसी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

श्री मनोहर पार्रीकर, गोवा के मुख्यमंत्री

यह सदन गोवा केमुख्यमंत्री श्री मनोहर पार्रीकर के17मार्च, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 13 दिसम्बर, 1955 को हुआ। वे वर्ष 1994, 1999, 2002, 2007, 2012तथा 2017 में गोवा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 2000 से 2005, 2012 से 2014 के दौरान तथा वर्ष 2017 से अपने अंतिम समय तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 2014 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुये। वे वर्ष 2014–17 के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे। वे गोवा विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे और उनका सम्पूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा।

उनके निधन से देश एक लोकप्रिय राजनेता व कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों केप्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्रीमती शीला दीक्षित, दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री

यह सदन दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के 20जुलाई, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 31 मार्च, 1938 को हुआ। वे वर्ष 1984 में लोक सभा की सदस्य चुनी गई तथा वर्ष 1984–89 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रही।वे वर्ष 1998, 2003 तथा 2008 में दिल्ली विधान सभा की सदस्य चुनी गई।उन्होंने 3 दिसम्बर, 1998 से 28 दिसम्बर, 2013 तक दिल्लीके मुख्यमंत्री तथा 11 मार्च, 2014 से 4 सितम्बर, 2014 तक केरल के राज्यपाल पद को सुशोभित किया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञएवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों केप्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्रीमती शारदा रानी, हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा की भूतपूर्व मंत्रीश्रीमती शारदा रानी के 17 मई, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म एक दिसम्बर, 1935 को हुआ। वे वर्ष 1968, 1972 तथा 1982 में हरियाणा विधान सभा की सदस्य चुनी गई। वे वर्ष 1969 से 1972तक मुख्य संसदीय सचिव, वर्ष 1972 के दौरान उपमंत्री,1972 से 1977 तक राज्य मंत्री तथा 1982 से 1987 के दौरानकैबिनेट मंत्री रही।वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहीं।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्रीमती स्नेहलता,संयुक्त पंजाब विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा की भूतपूर्वसदस्य श्रीमती स्नेहलता के 29मार्च, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 11 जून, 1921को हुआ। वे वर्ष 1957 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा वर्ष 1967 में हरियाणा विधान सभा की सदस्य चुनी गई।वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थी।

उनके निधन से राज्य एकयोग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों केप्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री जगीर सिंह, गांव कराह साहिब, जिला कुरुक्षेत्र।

2. श्री रामनारायण, गांव मुसेपुर, जिला रेवाड़ी।
3. श्री देस राज भट्ट, अम्बाला शहर, जिला अंबाला।
4. श्री दुलीचंद, गांव द्वारका, जिला चरखी दादरी।

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता है और शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

हरियाणा के शहीद

यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. कर्नल प्रीत सिंह, गांव सुरहेली, जिला रेवाड़ी।
2. कर्नल सतीश चंद्र, गांव ईमलोटा, जिला चरखी दादरी।
3. स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ, गांव हमीदपुर, जिला अम्बाला।
4. कैप्टन नविता राजन, गांव धौड़, जिला झज्जर।
5. फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजेश थापा, फरीदाबाद।
6. फ्लाइट लेफ्टिनेंट आशीष तंवर, गांव दीघोट, जिला पलवल।
7. सूबेदार नरेश कुमार, गांव बामला, जिला भिवानी।
8. सूबेदार विनोद कुमार, गांव कृष्ण नगर, जिला रेवाड़ी।
9. सूबेदार बलविंद्र सिंह, गांव गोपालपुर, जिला सोनीपत।
10. नायब सूबेदार विरेंद्र सिंह, गांव सिलारपुर, जिला महेंद्रगढ़।
11. नायब सूबेदार सोमबीर, गांव मिट्ठी, जिला भिवानी।
12. निरीक्षक घीसा राम, गांव डोहर खुर्द, जिला महेंद्रगढ़।
13. उप निरीक्षक पंकज, भिवानी।
14. उप निरीक्षक जोगेन्द्र सिंह, गांव बलम, जिला रोहतक।
15. सहायक उप निरीक्षक बाबू लाल, गांव बायल, जिला महेंद्रगढ़।
16. सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार, गांव खेड़ीजट्ट, जिला झज्जर।
17. सहायक उप निरीक्षक हवा सिंह, गांव दमकौरा, जिला भिवानी।
18. हवलदार इंद्र सिंह, गांव पूर्णबड़दू, जिला भिवानी।
19. हवलदार संदीप खटाना, गांव दमदमा की ढाणी, जिला गुरुग्राम।

20. हवलदार विजेंद्र सिंह, गांव ईगराह, जिला जींद।
21. हवलदार जगबीर सिंह, गांव सफियाबाद, जिला सोनीपत।
22. सार्जेंट विक्रांत सहरावत, गांव भदानी, जिला झज्जर।
23. नायक कृष्ण कुमार, गांव ढाणी शोभा, जिला हिसार।
24. नायक राजेंद्र, गांव मारोली, जिला महेंद्रगढ़।
25. लांस नायक जीत राम, गांव दौलताबाद कुणी, जिला गुरुग्राम।
26. एल.ऐ.सी. पंकज सांगवान, गांव कोहला, जिला सोनीपत।
27. सिपाही संदीप यादव, गांव गुढाना, जिला गुरुग्राम।
28. सिपाही बिजेंद्र सिंह, गांव चिमनी, जिला झज्जर।
29. सिपाही संदीप, गांव बहल्बा, जिला रोहतक।
30. सिपाही महेंद्र कुमार, गांव उन्नीदा, जिला महेंद्रगढ़।
31. सिपाही संजय, गांव पथरवा, जिला महेंद्रगढ़।
32. सिपाही गोपीचंद, गांव मातनहेल, जिला झज्जर।
33. सिपाही श्रीभगवान, गांव सौंफ, जिला चरखी दादरी।
34. सिपाही रमेश कुमार, गांव हथवाला, जिला जींद।

यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है और शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये कांवड़ियों (शिव भक्तों) को श्रद्धांजलि

यह सदन हरियाणा के कांवड़ियों (शिव भक्तों) के अलग–अलग सड़क दुर्घटनाओं में हुये दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों केप्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

.....

यह सदन

विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा के पिता, **श्री कैलाश चन्द्र मल्होत्रा;**

विधायक श्री आनंद सिंह दांगी के बहनोई, **श्री हरिओम सिंहसिवाच;**

विधायक श्री सुभाष सुधा के भाई, **श्री कृष्ण लाल सुधा;**

विधायक श्री रहीस खान की माता, **श्रीमती अतरी बेगम;**

विधायक श्रीमती लतिका शर्मा की जेठानी, **श्रीमती संतोष शर्मा;**

पूर्व मंत्री श्री बलवंत राय तायल के पुत्र, **श्री यशवंत राय;**

पूर्व मंत्री श्री सीता राम सिंगला की माता, **श्रीमती शांति देवी;**

पूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा की बहन, **श्रीमती गोरा देवी;**

पूर्व मंत्री श्री भीम सेन मेहता के पिता, **श्री रामकिशन;**

पूर्व विधायक श्री रामचंद कम्बोज की दादी, **श्रीमती कर्मो बाई;**

तथा

पूर्व विधायक श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया के भतीजे, **श्री नरेश कुमार** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

अध्यक्ष महोदय, इनके अलावा श्री जयबीर सिंह, विधायक के बड़े भाई श्री उमेद सिंह का भी निधन हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इनका नाम भी शोक प्रस्तावों की सूची में शामिल कर लिया जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक है। माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती किरण चौधरी जी शोक प्रस्ताव पर बोलेंगी।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, मैं खुद को और अपनी पार्टी को भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल करती हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पार्रिकर के 17 मार्च, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती हूं।

उनके निधन से देश एक लोकप्रिय राजनेता व कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के 20 जुलाई, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती हूं।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं। खासतौर से मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मुझे श्रीमती शीला दीक्षित जी के साथ काम करने का मौका मिला था, मैं उस समय दिल्ली विधान सभा की डिप्टी स्पीकर थी।

उन्होंने दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री जो काम किये हैं आज वे काम एक इतिहास के रूप में रह गये हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली में बहुत संस्थाएं हैं, उनमें से कुछ संस्थाएं केन्द्र सरकार के अधीन हैं इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी संस्थाओं को साथ लेकर चलना पड़ता है। श्रीमती शीला दीक्षित जी जब तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं वे सभी संस्थाओं को साथ लेकर चलती थीं। वे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को भी साथ लेकर चलती थीं। वे बहुत ही अनुभवी नेता थीं। मुझे इस बात का दुःख है कि वे आज हमारे बीच में नहीं हैं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री श्रीमती शारदा रानी के 17 मई, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती हूं।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती स्नेहलता के 29 मार्च, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती हूं।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती हूं, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमुल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैंः

1. श्री जगीर सिंह, गांव कराह साहिब, जिला कुरूक्षेत्र।
2. श्री रामनारायण, गांव मुसेपुर, जिला रेवाड़ी।
3. श्री देस राज भट्ट, अम्बाला शहर, जिला अंबाला।
4. श्री दुलीचंद, गांव द्वारका, जिला चरखी दादरी।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करती हूं और शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शोक प्रस्तावों में जिन–जिन शहीदों के नाम पढ़े हैं, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से प्रदेश के उन सभी वीर सैनिकों को भी अपना अश्रुपूर्ण नमन करती हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करती हूं और शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के कांवड़ियों (शिव भक्तों) के अलग–अलग सड़क दुर्घटनाओं में हुए दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करती हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

इसके अतिरिक्त जो हमारे सदन के माननीय सदस्य, पूर्व मंत्री या पूर्व में सदस्य रहे हैं, उनके रिश्तेदारों का नाम भी शोक प्रस्ताव में आये हुये हैं, इनके नाम इस प्रकार से हैंः–

1. श्रीमती सीमा त्रिखा के पिता, **श्री कैलाश चन्द्र मल्होत्रा,**
2. श्री आनंद सिंह दांगी के बहनोई, **श्री हरिओम सिंह सिवाच,**
3. श्री सुभाष सुधा के भाई, **श्री कृष्ण लाल सुधा,**
4. श्री रहीस खान की माता, **श्रीमती अतरी बेगम,**
5. श्रीमती लतिका शर्मा की जेठानी, **श्रीमती संतोष शर्मा,**
6. पूर्व मंत्री श्री बलवंत राय तायल के पुत्र, **श्री यशवंत राय,**
7. पूर्व मंत्री श्री सीता राम सिंगला की माता, **श्रीमती शांति देवी,**
8. पूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा की बहन, **श्रीमती गोरा देवी,**
9. पूर्व मंत्री श्री भीम सेन मेहता के पिता, **श्री रामकिशन,**
10. पूर्व विधायक श्री रामचंद कम्बोज की दादी, **श्रीमती कर्मो बाई**
11. पूर्व विधायक श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया के भतीजे, **श्री नरेश कुमार**

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ इनके दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती हूं और दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने शोक प्रस्ताव संख्या 1 से लेकर 8 तक पढ़े हैं। मैं खुद को और अपनी पार्टी को भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के 17 मार्च, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के 20 जुलाई, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री श्रीमती शारदा रानी के 17 मई, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती स्नेहलता के 29 मार्च, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं:–

1. श्री जगीर सिंह, गांव कराह साहिब, जिला कुरुक्षेत्र।
2. श्री रामनारायण, गांव मुसेपुर, जिला रेवाड़ी।
3. श्री देस राज भट्ट, अम्बाला शहर, जिला अंबाला।
4. श्री दुलीचंद, गांव द्वारका, जिला चरखी दादरी।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रमांक नम्बर 1 से 34 तक शहीदों के नाम पढ़े हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना

अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के कांवड़ियों (शिव भक्तों) के अलग–अलग सड़क दुर्घटनाओं में हुये दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसके अतिरिक्त जो हमारे सदन के माननीय सदस्य, पूर्व मंत्री या पूर्व में सदस्य रहे हैं, उनके रिश्तेदारों की पिछले और इस सत्र के दौरान मौत हो गई है, उनके नाम भी इस शोक प्रस्ताव में आये हुये हैं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ इनके दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं और दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे तथा इनके परिवार को इस दुख के समय में शक्ति प्रदान करें।

डा० रघुवीर सिह कादियानः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बेरी हल्के के गांव भापड़ौदा के एक वर्ल्ड रिनॉन्ड साइंटिस्ट डॉ. जगजीत सिंह राठी जो नासा के स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमैंट में हैड थे, उनका निधन 11 जुलाई, 2019 को वर्जीनिया (यू.एस.ए.) में हो गया था। मैं चाहता हूं कि उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने अपने–अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्राप्त हो सके। मैं इस सदन की भावनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करूंगा कि इन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न–काल शुरू होता है।

Illegal Sand Mining in Dadri

***3095. Smt. Kiran Choudhary :** Will the Mines and Geology Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that illegal and unregulated sand mining/stone crushing is being operated in Charkhi Dadri District regularly with the connivance of district officers/officials of the Government; and

(b) If so, the details thereof togetherwith the action taken by the Government on the report submitted by the panel set up by the NGT?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) नही, श्रीमती ।

(ख) एक विवरणी सदन के पटल पर रखी है।

विवरणी

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) ने मूल आवेदन संख्या 607 ऑफ 2018 के सन्दर्भ में एक पैनल/समिति का गठन किया, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच0एस0पी0सी0बी0) के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसने दिनांक 19.03.2019 को गांव झोझू कंलां व आसपास के क्षेत्रों की पत्थर की खानों व स्टोन क्रशरों का निरिक्षण किया तथा इस क्षेत्र में अवैध खनन का कोई भी मामला नही पाया गया। इस क्षेत्र में कोई भी स्टोन क्रैशर अवैध रूप से चलता नहीं पाया गया। समिति द्वारा निरिक्षण किए गए 36 स्टोन क्रैशरों में से 31 स्टोन क्रैशरों के पास वैध संचालन की सहमति व 05 स्टोन क्रैशरों के पास स्थापित करने की सहमति पाई गई।

यद्यपि, समिति ने 31 स्टोन क्रैशरों के पास वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधि उपायों की कमी पाई। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समिति के अवलोकन के आधार पर गांव झोझू कंला व रामलवास के 19 स्टोन क्रैशरों को सील कर दिया। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार हाल ही में एक अन्य समिति का गठन किया गया, जिसने जिला चरखी दादरी के गांव खेडी बत्तर, कलाली कल्याना व रामलवास की पत्थर खानों का निरिक्षण दिनांक 09.07.2019 को किया। इस समिति की रिपोर्ट अभी वांछित है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है और इस बात का आपको भलीभांति ज्ञान है कि एन.जी.टी. ने भी इस विषय पर संज्ञान इसलिए लिया है कि वहां पर अत्यधिक मात्रा में इल्लीगल माईनिंग हो रही है और इस बात को वहां की जनता भी जानती है। जहां तक पोल्यूशन की बात है तो यह एक अलग विषय है लेकिन वहां पर इतनी जबरदस्त तरीके से इल्लीगल माईनिंग हो रही है जिसके कारण जमीन के नीचे का पानी ऊपर आ गया है। यह एक क्षेत्र की बात नहीं है बल्कि यह पूरे हरियाणा प्रदेश की बात है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर एन.जी.टी. ने भी संज्ञान लिया है, उसके बावजूद भी माननीय मंत्री जी इस गंभीर विषय पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मंत्री जी और डी.सी. साहब ने नॉर्म्स बनाकर कमेटी का गठन किया था। माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में इसके रिगार्डिंग जवाब दिया था जिसके बाद समाचार पत्रों के माध्यम से इस बारे में खबरें भी प्रकाशित हुईं कि कितने धड़ल्ले से आज भी वहां पर इल्लीगल माईनिंग हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि एन.जी.टी. ने जो कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इकोलॉजिकल ऑर्डर को सही रखने के लिए नये नॉर्म्ज बनाये थे, आप हमें उसके बारे में भी बताने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त यह भी बताने का कष्ट करें कि आपने इस इल्लीगल माइनिंग के रिगार्डिंग कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और भविष्य में इससे संबंधित क्या कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि विनोद कुमार जागड़ा नाम के एक व्यक्ति ने एन.जी.टी. में स्टोन क्रैशर के विषय को लेकर शिकायत की थी कि गांव झोझू कलां और रामलवास में 150 स्टोन क्रैशर अवैध रूप से चल रहे हैं और एन.जी.टी. ने इसका संज्ञान लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह

बताना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग और वन विभाग की एक संयुक्त कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी ने दिनांक 19 मार्च, 2019 को गांव झोझू कलां व आसपास के क्षेत्रों की पत्थर की खानों व स्टोन क्रैशरों का निरीक्षण किया तो इन क्षेत्रों में अवैध खनन का कोई भी मामला नहीं मिला। जिन क्षेत्रों को खानपट्टा धारकों को लीज पर दिया गया था। जब कमेटी ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया तो सभी खानपट्टा धारक अपने–अपने क्षेत्रों में ही कार्य करते पाये गये थे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि कमेटी ने जिन क्षेत्रों का निरीक्षण किया था, उसके आसपास 36 स्टोन क्रैशरों में से 31 स्टोन क्रैशरों के पास वैध संचालन की सहमति व 5 स्टोन क्रैशरों के पास स्थापित करने की सहमति पाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, 19 स्टोन क्रैशर ऐसे पाये गये थे, जो पर्यावरण के मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे थे, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण हो रहा था इसलिए इन 19 स्टोन क्रैशरों को सील कर दिया गया था और जो बाकी जो स्टोन क्रैशर बच गये थे, वे पर्यावरण के मानकों को पूरा कर रहे थे तथा आज की तारीख में देखें तो बाकी बचे हुए स्टोन क्रैशर सुचारू रूप से चल भी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, स्टोन क्रैशर से संबंधित मामला माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, न्यू दिल्ली में दिनांक 8 अगस्त, 2019 के लिए लगा हुआ है।

.....

जिला यमुनानगर के पत्रकारों का स्वागत

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज यमुनानगर जिले के पत्रकार साथी भारी संख्या में हरियाणा विधान सभा की दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए विराजमान हैं । मैं पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं ।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन को जिस एडवोकेट का नाम बताया है उसने खुद माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हो रही इल्लीगल माईनिंग से संबंधित कुछ फोटो ग्राफ्स पेश की और उन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद साफ पता चलता है कि आज भी वहां पर धड़ल्ले से इल्लीगल माईनिंग चल रही है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में भी यह कहा है कि

19 स्टोन क्रशर्ज़ को सील कर दिया गया है और हाल ही में इस मामले को एग्जामिन करने के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया था जिसने जिला चरखी दादरी के गांव खेड़ी बत्तर, कलाली कल्याना व रमलवास की पत्थर खानों का निरीक्षण दिनांक 09.07.2019 को किया। इस समिति की रिपोर्ट अभी वांछित है। स्पीकर सर, मेरा यह कहना है कि यह पर्यावरण का मामला है। मंत्री जी जानते हैं कि यह मामला बेहद संवेदनशील है लेकिन इसके बावजूद भी अगर मंत्री जी इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने में इतना ज्यादा समय लगायेंगे तो वह ठीक नहीं होगा क्योंकि इस समस्या की वजह से वहां के लोगों का जीवन दूभर हो रहा है। स्टोन क्रैसर्ज़ की वजह से होने वाले पॉल्यूशन की वजह से वहां के लोग दमा सहित अनेकों की गम्भीर बिमारियों का का शिकार हो रहे हैं। इसी कारण से लोगों के खेतों में किसी भी फसल की बिजाई नहीं हो रही है because entire pollution is coming on that. इस प्रकार से यह एक बहुत ही संगीन मामला है। अगर सरकार के स्तर पर इस मामले में इतना सुस्त रवैया अपनाया जायेगा तो यह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं कि इस सम्बन्ध में गठित समिति की रिपार्ट अभी वांछित है इसलिए इस मामले में अभी तक कोई आगामी कार्यवाही नहीं हुई है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इस मामले में सरकार के स्तर पर कम्पलीट आवश्यक कार्यवाही कब तक की जायेगी?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि इस मामले में तीन अलग–अलग लोगों द्वारा अलग–अलग समय पर दी गई याचिकायें हैं या शिकायतें हैं। मैंने एक शिकायत के बारे में माननीय सदस्या के प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरी शिकायत पानी फाउंडेशन के नाम से है जिसमें पानी फाउंडेशन से सम्बंधित लोगों ने तीन खानों की चर्चा की है रामलवास, खेड़ी बत्तर और कलाली कल्याना की है। इसमें मैं. सॉफ्ट स्टोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी कलाली कल्याना की पत्थर की जो खान है वह तो वर्ष 2016 से ही बंद है तथा दो खानें मानको के हिसाब से चल रही हैं। अभी सम्बंधित टीम ने 02 जुलाई, 2019 को इनका निरीक्षण किया था। यह अलग शिकायत है। इस मामले में ये पैरामीटर्ज हैं कि पानी की सतह से दो मीटर ऊपर तक आप खनन कर सकते हो उसी पैरामीटर पर इस समिति की रिपोर्ट के हिसाब से सभी खानें खरी उतरती हैं। इस मामले की ट्रिब्यूनल में 04 सितम्बर, 2019 को सुनवाई है।

इस मामले में ट्रिब्यूनल और सरकार दोनों ही बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। इसके बाद एक तीसरी शिकायत है प्रदीप कुमार की। इसमें एक पट्टेधारक मैं. कोऑल्टी अर्थ मिडल प्राईवेट लिमिटेड को कहा है कि वह अपने ईलाके से बाहर खनन कर रहा है। उसके लिए जो तीसरी कमेटी का जिक्र किया गया है इस मामले में डिप्टी कमिश्नर ने एक कमेटी बनाई है जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैं, वहां के वन अधिकारी हैं और खनन के अभियंता हैं। डिप्टी कमिश्नर द्वारा इस समिति को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि यह एक कंटीन्यूस काम है। वहां पर लगातार ये चलता रहता है। इस तरह का बहुत सारा काम आपसी प्रतिस्पर्धा में भी चलता रहता है इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी सामाजिक संगठन के नाम से अम्बाला का एड्रैस बताकर कोई शिकायत की हुई है। हम उस व्यक्ति और उस एड्रैस को ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार के कईं मामले वहां पर होते ही रहते हैं। यह खनन का क्षेत्र है। वहां पर इस समय 161 स्टोन क्रैशर्ज़ चल रहे हैं इसलिए वहां पर आपसी प्रतिस्पर्धाओं में भी ये सब चलता रहता है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस सम्बन्ध में पूरी तरह से गम्भीर है, हर मामले की पूरी जानकारी निरंतर ले रही है, एन.जी.टी. और इस मामले से सम्बंधित जो कमेटी गठित की गई है वह जो भी आदेश करती है सरकार के स्तर पर उनका पूरा पालन किया जा रहा है। इस मामले में सरकार द्वारा बाकायदा तौर पर एन.जी.टी. को हर बात की रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से सबमिट की जा रही है। जो पॉल्यूशन फैलाने वाले 19 स्टोन क्रैशर्ज़ पाये गये हैं उनको पहले ही सील कर दिया गया है। इस समय वहां पर कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि स्टोन क्रैशर के ओनर के पास खनन करने का कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि माईन्ज़ की लीज़ अलग मैटर है और स्टोन क्रैशर का मामला अलग है।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहती हूं कि यह जो इनकी lackadaisical approach है कि ऐसे होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, ये है और वो है यह ठीक नहीं है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि यह बहुत संगीन और संवेदनशील मामला है। यह एनवॉयर्नमैंट के पॉल्यूशन का मामला है यह मंत्री जी भी जानते हैं। एन.जी.टी. ने इस मामले में जो संज्ञान लिया है उसके बारे में मंत्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद भी इस मामले में जो आवश्यक कार्यवाही मंत्री जी को तुरंत करनी चाहिए

उसे क्यों नहीं किया जा रहा है मैं सिर्फ यही पूछ रही हूं इसलिए मुझे ये ही बता दिया जाये कि इस मामले में पूरे तौर पर आवश्यक कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी। अगर मुझे यह बता दिया जाता है तो इसके बाद मैं आराम से बैठ जाउंगी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैंने माननीय सदस्या को यह स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि जो 19 स्टोन क्रैशर्ज पॉल्यूशन फैला रहे थे उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, इस मामले से सम्बंधित विभाग के मंत्री श्री विपुल गोयल जी हैं इसलिए इस बारे में जवाब भी श्री विपुल गोयल जी को ही देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह तो मंत्रीमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है और किसी भी विषय के बारे में पूछे गये सवाल का कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है।

श्री जयप्रकाशः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की समस्यायें बहुत ज्यादा आ रही हैं इसलिए सरकार का यह दायित्व बनता है कि जो फॉल्स कम्पलेनेंट हैं उनको ढूंढा जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस काम के लिए एक कमेटी बनाई जाये जो मौके पर जा कर निरीक्षण करे तथा अपनी रिपोर्ट सौंपे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, हमने थोड़ी सी गलती कर दी है कि हमने ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम किया है। अगली जो एप्लीकेशन्ज एन.जी.टी. में गई हुई हैं वे भी हमने मैडम के उत्तर में डाल दी हैं। माननीय सदस्या का कंसर्न सिर्फ श्री विनोद जांगड़ा तक सीमित था वह पहले आ गया है जिसके तहत हमने 19 स्टोन क्रैशर्ज को सील कर दिया है। उसके बाद पानी फाउंडेशन का जिक्र आ गया है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जब संबंधित विभाग के मंत्री सदन में उपस्थित हैं तो कृषि मंत्री इस प्रश्न का जवाब क्यों दे रहे हैं?

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आपने ऐड्रस ही मंत्री जी को किया है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, इसके बाद एक तीसरा विषय है जिसके बारे में सितम्बर में सुनवाई होनी है उसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से फिर निवेदन है कि एक कमेटी का गठन किया जाये जो ऑन दा स्पोट निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट सौंप दे। उससे पता चल जायेगा कि कौन क्या कर रहा है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहता हूं कि इसका मतलब उन्होंने अपने सवाल के जवाब पर ठीक से ध्यान नहीं दिया है। भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तथा हरियाणा सरकार का पर्यावरण मंत्रालय तथा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिल कर यह काम कर रहे हैं। हमने उनकी कमेटी बनाई हुई है। इससे गम्भीर क्या कमेटी हो सकती है? 19 स्टोन क्रैशर्ज सील हो गये हैं और माननीय सदस्या जवाब सुनने को तैयार ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह एरिया माननीय मंत्री जी के दादरी क्षेत्र में पड़ता है इसलिए ये उसकी ठीक तरह से जांच नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि 9.7.2019 को इसका निरीक्षण किया गया है तो अभी तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, जब संबंधित विभाग के मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं तो इस प्रश्न का उत्तर उनको ही देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, जब संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित हैं और अगर वे तैयारी नहीं करके आये हैं तो आपको उनको बोलना चाहिए कि आप तैयारी करके आइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, वैसे तो कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है लेकिन माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है वह धनखड़ साहब को ही ऐड्रस किया हुआ है।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : अध्यक्ष महोदय, जो स्टोन क्रैशर्ज नॉर्म्स को पूरे नहीं करते थे उन 19 स्टोन क्रैशर्ज को हमने बंद कर दिया है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हमसे गड़बड़ यह हो गई कि हमने ज्यादा संवेदनशीलता दिखाते हुये पूरी जांच कर डाली। माननीय सदस्या का कंसर्न सिर्फ श्री विनोद जांगड़ा तक ही सीमित था। अगर हम सिर्फ वहीं तक सीमित रहते तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन उसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन पानी फाउंडेशन की भी आ गई हमने उसका भी उत्तर दे दिया है ताकि कहीं अगला सवाल न उठ जाये। इसके अतिरिक्त एक शिकायत श्री प्रदीप कुमार के खिलाफ भी आ गई उसका भी हमने उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्या को

दिक्कत यह है कि हम प्रदीप कुमार तथा पानी फाउंडेशन तक कैसे पहुंच गये? इनको परेशानी यह है कि इनके प्रश्न का इतना विस्तृत उत्तर कैसे दे दिया गया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाये जो मौके पर जा कर निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट सौंप दे।

.....

To Construct a New Water Works

***3074. Shri Ved Narang :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new waterworks for providing adequate drinking water in Barwala City; if so, the details thereof ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ० बनवारी लाल) : नहीं, श्रीमान् जी, बरवाला शहर में नए जलघर के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नही है क्योंकि पहले से ही पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि बरवाला शहर में पेय जल आपूर्ति प्रर्याप्त है । वह जवाब तथ्य पर आधारित नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बरवाला शहर में पीने के पानी की प्रतिदिन कितनी आपूर्ति की जाती है और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी दिया जाता है ।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बरवाला शहर की जनसंख्या 52061 है । बरवाला शहर में वर्तमान पेय जल स्तर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है । इसके अलावा बरवाला शहर में दो कैनाल बेस्ड वाटर वर्क्स, चार ट्यूबवैल और तीन बूस्टिंग स्टेशन द्वारा पेय जल आपूर्ति की जा रही है। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग वाटर वर्क्स हैं उनकी ऑगमेंटेशन और रेनोवेशन के लिए 2 करोड़ 33 लाख 80 हजार रुपये का एस्टीमेट स्वीकृत है । जिसमें से 1 करोड़ 19 लाख 85 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं । इसी तरह से बरवाला टाऊन में नई अनाज मण्डी से पुरानी अनाज मण्डी तक वाटर वर्क्स की पाईप लाईन बिछाने के लिए 25 लाख 82 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं जिसके लिए 58 लाख 60 हजार रुपये का एस्टीमेट स्वीकृत है ।

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पेय जल की अपूर्ति के लिए जो कहा है उस संबंध में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि बरवाला शहर में पिछले 20 साल से कोई भी वाटर वर्क्स नहीं बना है । चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो बरवाला शहर में हमेशा पेय जल की आपूर्ति के लिए लोगों में हा–हा कार मची रहती है और इन गर्मियों के दिनों में तो पेय जल आपूर्ति की समस्या बिल्कुल ही विकट रूप धारण कर चुकी है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इस संबंध में एक बार फिर से समीक्षा करके बरवाला की जनता को पेय जल की समस्या से बचाने के लिए एक नया जल घर बनाने का काम करें।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी इसकी दोबारा से जांच करने के लिए कह रहे हैं तो हम इस पेय जल की समस्या की दोबारा से जांच करेंगे और अगर वहां कोई दिक्कत होगी तो हम उस पर विचार करेंगे ।

.....

Stamp Duty on Loan Agreements

***3078. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state-

(a) whether the Government has received any representation/ memorandum during the month of July, 2019 for reviewing its decision to enhance the levy of stamp duty from Rs. 2.25/- to Rs. 2000/- on loan agreements from banks; and

(b) if so, the contents of memorandum togetherwith the action taken or likely to be taken by the Government?

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) : (क) हां श्रीमान् जी, एक प्रतिवेदन/ज्ञापन दिनांक 16.07.2019 अखिल भारतीय किसान सभा, हरियाणा द्वारा दिनांक 24.07.2019 को प्राप्त हुआ है।

(ख) अखिल भारतीय किसान सभा ने राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.03.2019 के सदर्भ में कृषि ऋण रूपए 1.6 लाख तक के दृष्टिबंधक/गारंटी समक्षौता पत्र के पंजीकरण में देय स्टाम्प शुल्क की छूट है तथा प्रार्थना की है कि स्टाम्प शुल्क की छूट सभी कृषि ऋणों पर, बिना किसी सीमा के प्रदान की जानी चाहिये। उन्होंने अनुरोध किया है कि छोटे किसान भी जिनके पास 2 एकड से कम

कृषि भूमि है वह भी 1.6 लाख से ज्यादा ऋण लेते हैं और इसलिये रूपए 1.6 लाख से कम के ऋण दृष्टिबंधक/गारंटी समझौता पत्र के पंजीकरण में स्टाम्प शुल्क की छूट उददेश्य की पूर्ति नही करती है। उन्होंने अनुरोध किया है कि कृषि ऋणों के दृष्टिबंधक/गारंटी समझौता पत्रों के पंजीकरण पर रूपए 2000/– की स्टाम्प डयूटी से पूर्ण छूट दी जावे। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रतिवेदन राज्य सरकार के परीक्षणाधीन/विचाराधीन है।

श्री करण सिंह दलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को अगर याद हो तो पिछले वर्ष भी इनके सामने हमने यह सवाल रखा था । पहले किसानों के लोन वगैरह के एग्रीमैंट मात्र दो रुपये के स्टैम्प लगाने से ही हो जाते थे । अध्यक्ष महोदय, इण्डियन स्टैम्प एक्ट के आर्टिकल–40 में व्यवस्था तो यह है कि किसान कोई भी ट्रांजैक्शन करे या कोई भी एग्रीमैंट करे, करार करे तो उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगता । स्पीकर सर, इनके विभाग ने 9.3.2019 को एक नोटिफिकेशन किया है और इण्डियन स्टैम्प एक्ट के आर्टिकल–5 के शिड्यूल–1 ए में अमैंडमैंट किया है, मंत्री जी, उस एक्ट को पढ़ लें । इसके तहत जो ये दो हजार रुपये का स्टैम्प बढ़ाया गया है उसको तो बढ़ाया ही नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा आर्टिकल–40 में प्रावधान है । अध्यक्ष महोदय, इण्डियन स्टैम्प एक्ट का आर्टिकल–40 यह कहता है कि किसानों के कोई भी करार पर, एग्रीमैंट पर या वह कोई भी शर्तें मुकरर करते हैं तो उन पर कोई पैसा नहीं लग सकता । इसके जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए 1 लाख 60 हजार रुपये तक की राशि के करार को हमने एग्जैम्प्ट किया है । स्पीकर सर, आप भी किसान हैं अगर किसी किसान की एक एकड़ जमीन भी है तो वह उस जमीन पर दो लाख रुपये तक का लोन या पैसा लेता रहता है । इसके अलावा जब भी किसान को कोई करार करना हो या कोई लोन लेना हो या क्रैडिट कार्ड का कोई मामला हो तो उसको चार हजार रुपये देने पड़ते हैं । जबकि किसानों को उनकी जमीन गिरवी रखकर दिए जाने वाले कर्जे पर लगने वाले डेढ़ प्रतिशत टैक्स को हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 07.06.2012 को हटाया था । स्पीकर सर, एक तरफ तो सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की बात करती है तो वही दूसरी ओर किसानों पर स्टाम्प ड्यूटी का अतिरिक्त बोझ डालकर उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। स्पीकर सर, इंडियन स्टैम्प एक्ट के 5–सी में जो अमैंडमेंट करनी चाहिए थी, वह भी नहीं की गई बल्कि रिवेन्यू डिपार्टमैंट की तरफ से इस संबंध में मात्र एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर पास किया गया है। अगर सरकार

की मंशा किसानों को राहत पहुंचाने की होती तो सरकार को इंडियन स्टैम्प एक्ट में अमैंडमेंट करने संबंधी बिल को लेकर आना चाहिए था और गवर्नर साहब से इस संबंध में आर्डिनेंस जारी करवाना चाहिए था लेकिन ऐसा न करके सरकार द्वारा मनमाने तरीके से किसानों के उपर स्टॉम्प ड्यूटी का अतिरिक्त बोझ डालने का कुप्रयास किया जा रहा है और किसानों की आय को दोगुना करने का नारा देने वाली यह सरकार आज किसानों को बर्बाद करने पर उतर चुकी है। स्पीकर सर, इंडियन स्टैम्प एक्ट किसी भी सूरत में किसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर को इशू करने का अधिकार नहीं देता है। इंडियन स्टैम्प एक्ट के आर्टिकल–40 में यह प्रावधान है कि यदि किसान किसी भी प्रकार का कोई करार, एग्रीमैंट या ट्रांजैक्शन करता है तो उससे इसके लिए किसी प्रकार की कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं ली जायेगी। मेरे पास आर्टिकल–40 की यह प्रति मौजूद है। अगर सरकार के मंत्री चाहे तो मैं उनको यह प्रति दे सकता हूँ और ये इसको पढ़ सकते हैं। स्पीकर सर, सरकार द्वारा यह कहना कि छोटे किसानों के लिए 160000 तक के करारों को स्टॉम्प ड्यूटी से छूट दी गई है मात्र एक छलावा है क्योंकि छोटे से छोटा किसान भी अपनी एक एकड़ जमीन पर 200000 रूपये तक का लोन लेता है जिसके लिए उसे 4000 रूपये तक की स्टॉम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। यह नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, मुझे आपकी मार्फत सरकार से तथा सरकार के मंत्री से यह कहना है कि अब आगे तो इन लोगों को सरकार में आना नहीं है इसलिए जाते जाते इनको किसानों की भलाई करने के इस विषय पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस के लोग अभी लोक सभा के चुनावों में हरियाणा की सभी 10 की 10 लोक सभा सीटें हार चुके हैं और बावजूद अभी भी इनको बात समझ नहीं आ रही है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, समझने की बारी हमारी नहीं इन लोगों की है। अब विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और जब जनता फैसला करेगी तो इन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी जिस तरह की बात कर रहे हैं उसके मद्देनज़र एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, यह लोग अभी भी अपने अहंकार के गुमान में हैं और जनता इनके इस अहंकार को निकालने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी यह विषय चर्चा का नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सप्लीमैंटरी क्वैशचन पूछा है

हालांकि मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ लेकिन चूंकि माननीय करण सिंह दलाल जी ने अलग से यह बात भी कही कि वर्ष 2012 में किसानों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज पर डेढ परसैंट स्टॉम्प ड्यूटी को हटाने का काम इनकी सरकार में किया गया था, के परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त भी इनकी सरकार ने इंडियन स्टैम्प एक्ट के सैक्शन–40 की तरमीम नहीं की थी यदि इनकी सरकार सैक्शन–40 की तरमीम करती तो आज जो बदलाव हमारी सरकार करने जा रही है, उसकी नौबत नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1967 से लेकर वर्ष 2018–19 तक इंडियन स्टैम्प एक्ट में 65 कारक ऐसे रजिस्टर्ड थे जिन पर स्टैम्प ड्यूटी ली जाती थी और इतने लंबे समय के अंतराल के बावजूद इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। शायद कही न कहीं अनदेखी करने का ही यह नतीजा रहा था लेकिन जब हमारी सरकार ने इस दिशा में कार्य करते हुए अमैंडमेंट संबंधी प्रयोजन की कार्यवाही को अंजाम दिया तो एग्रीकल्चर लोन से संबंधित 70 रजिस्टर्ड कारकों पर कम से कम 2000 रूपये की स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई। जब इस संबंध में गांव लाखन माजरा से जिला परिषद के चेयरमैन श्री बलराज कुंडू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें मदीना गांव के कुछ किसान भी शामिल थे और यही नहीं भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल भी इस विषय पर मुझसे मिला और उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही से किसानों पर स्टॉम्प ड्यूटी का खर्च का बोझ ज्यादा बढ़ रहा है तो हमने इस विषय पर बैंकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग करते हुए विचार विमर्श किया। यही नहीं इस विषय पर अन्य राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया कि अन्य राज्यों में बैंक किसानों को कुल कितना लोन देते हैं और इस तुलनात्मक अध्ययन में एवरेज यह निकलकर आई कि अमूमन 80 प्रतिशत से ज्यादा केसिज में 160000 रूपये तक का ही लोन किसानों द्वारा लिया जाता है और हमारी सरकार ने इसके ध्यानार्थ 160000 रूपये तक के करारों को स्टॉम्प ड्यूटी से छूट दे दी। अध्यक्ष महोदय, स्टॉम्प ड्यूटी इनके समय में भी कभी जीरो नहीं रही थी और इसको सवा दो परसैंट के हिसाब से चार्ज किया जाता था और ऐसा नहीं है कि हमारे समय में ही स्टॉम्प ड्यूटी चार्ज की गई हो बल्कि विगत 52 सालों से स्टॉम्प ड्यूटी का यह सिलसिला चला आ रहा था। इसके बाद एग्रीकल्चर लोन से संबंधित कुछ और प्रतिनिधिमंडल हमारे पास अपना ज्ञापन लेकर आये और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अब एक बार फिर बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके तथा अन्य राज्यों की पूरी रिपोर्ट मंगवाकर इस विषय पर काम किया जा रहा है। यह विषय सरकार के दिल के

बेहद नजदीक है और निश्चित रूप से इसका समाधान खोज निकाला जायेगा। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इंडियन स्टैम्प एक्ट के आर्टिकल–40 में दर्ज एग्जैम्पशंज पढ़कर सुनाता हूँ, शायद इनके ध्यान में असल बात आ जाये :–

"Exemptions

(1) Instruments, executed by person taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883 (XIX of 1883), or the Agriculturists' Loan Act, 1884 (XII of 1884), or by their sureties as security for the the repayment of such advances."

यदि माननीय मंत्री जी इन एग्जैंम्पशंज को ध्यान से देख लें तो सारी बात समझ में आ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी बार–बार यह बात कहते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार ने गलत काम किया, इस परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई सरकार गलत काम कर देती है तो इसका यह मतलब तो कदापि नहीं निकाला जा सकता कि अगली सरकार भी उस गलत कार्य को अंजाम दें। अध्यक्ष महोदय, इंडियन स्टैम्प एक्ट कोई ऐसी–वैसी चीज नहीं है बल्कि यह भारत सरकार का एक्ट है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया था उसका मैंने जवाब दे दिया है लेकिन यदि गहराई में जाकर बात कर रहे हैं तो इसके उत्तर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि असल में यह मामला अभी विचाराधीन है। अब कोई अंतिम निर्णय होगा तभी कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर विचार तो कई सालों से चलता आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम और आप किसान हैं, इसलिए किसानों की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। यदि कोई 5 एकड़, 3 एकड़ या 2 एकड़ का छोटा किसान है और वह लोन लेता है तो 1 लाख 60 हजार रुपये तक के लोन पर तो सरकार ने स्आम्प डयूटी माफ कर दी है लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेन की आखिरी सीमा तो 5 लाख रुपये है। इस हिसाब से किसान के लिए 2 या 3 लाख रूपये तक लोन लेना आम बात है, इसलिए इस विषय पर

विचार करने वाली तो कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से उद्योगपतियों को सहूलियतें देने के लिए मौजूदा सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं उसी तरह से किसानों को सहूलियतें देने में सरकार को क्या दिक्कतें आ रही हैं। सरकार यह कहती है कि यह विषय विचाराधीन है। मौजूदा सरकार किसानों के लिए दावा करती है कि उनकी आय को दोगुना करेंगे लेकिन असलियत यह है कि आज किसानों को लूटा जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मैटर पर क्या विचार करेगी? मैं तो कहता हूँ कि ये लोग अगली बार यहाँ न बैठकर बल्कि अपने घरों में जाकर विचार करेंगे क्योंकि अगली बार तो इनको चुनाव जीतकर विधान सभा में आना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह कोई प्रश्न नहीं है और आपके प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल जी का यह बड़ा अहम सवाल है क्योंकि दलाल साहब तथ्य की बात करते हैं। हमारे वाला काम भी भाई करण सिंह दलाल करने लग गए हैं और कहते हैं कि अगली बार आप लोगों को तो चुनाव जीतकर आना नहीं है। He is advising us so many things. आज भाई करण सिंह दलाल के स्वभाव में बदलाव दिख रहा है और कहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गलत काम किया है तो क्या यह जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वही गलत काम करे। अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब की इस अच्छी बात के लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूँ।

'हिना रंग लाती है, पत्थर पर घिस जाने के बाद,
सुरखुरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद।'

.....

To Develop International Fruit and Vegetable Market

***3076. Shri Kuldip Sharma**: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state&

(a) the details of the works presently running for the development of International Fruit and Vegetable Market in Ganaur; and

(b) the details of proposals under consideration of the Government for the future development of the above said market togetherwith the time by which it is likely to be developed ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : (क) तथा (ख) श्रीमान् जी, ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्यौरा

इस समय अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मार्किट, गन्नौर में कोई विकास कार्य प्रगति पर नहीं है। इस मार्किट के विकास तथा परिचालन के लिए एक स्पैशल परपज व्हीकल (SPV) हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम (HIHMC) की स्थापना 06.07.2018 को की गई है। स्पैशल परपज व्हीकल इस प्रोजैक्ट की रुपरेखा को फाईनल करने की प्रक्रिया में है जिसमे निर्माण कार्य, वित्त प्रबन्धन के तरीके तथा सुविधाओं की श्रृंखला निर्धारित करना आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त HIHMC बोर्ड ने नक्शा फाईनल करने के लिए मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और यह नक्शा अगले एक महीने में अनुमोदित हो जाने की सम्भावना है। इस समय मार्किट को पूरा होने की कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

Shri Kuldip Sharma: Speaker Sir, I am not satisfied with the answer given by the Hon'ble Minister on two points. The first is that the Hon'ble Minister has admitted that presently no physical work is going on for the development of this International project. The second is that the Hon'ble Minister says that at this stage no time-frame can be given for the completion of this market. The land for this market was acquired more than 10 years ago and this is the biggest land pool probably in the national capital region. Around 550 acres of land was acquired for this prestigious and ambitious project. Some work did go on during our regime. We have laid the foundation stone of this project. This particular vegetable market has enormous economic potential because this is just adjacent to Delhi and it takes the space and place of Delhi Vegetable market which is just in 40 acres whereas it is in 550 acres of land. The Hon'ble Minister visited this project and I read his statement made in the newspaper that concrete steps for the development of this project will be taken in the next six months. The Chairperson of the marketing board has also visited it on the couple of occasions. The Hon'ble President of India also came here. I personally went to attend

that function with the hope that some announcements would be made towards the development of this market. But, at this stage the Hon'ble Minister does not give a time-frame. No work is going on. The Government says it wants to save the water, it wants to stop flood irrigation, it wants to bring in crop diversification, it wants to change the cropping pattern. If that is the wish of the Government, or if that is the plan, then the development of this market is of paramount importance. If this market is developed, the cropping pattern will change. I would like to ask the Hon'ble Minister that what are the future plans regarding development, regarding auction of plots, regarding cold chain, regarding any other project in his mind and in the mind of the Government?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर सवाल है । इस मामले में तेजी से काम पूरा करवाने की सरकार की और व्यक्तिगत रूप से मेरी भावनाएं उतनी ही तीव्र हैं जितनी कि माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा की हैं । इस प्रोजैक्ट के कामों में जिन वजहों से डिले हुआ है मैं फिलहाल उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता नहीं तो माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल वाला इशू आ जाएगा कि जो गलतियां हमने की वे गलतियां आप मत कीजिए । इसका काम बहुत अच्छा शुरू हुआ था । इस मंडी को शुरू करने के लिए फ्रांस की एक कम्पनी के साथ एग्रीमैंट किया गया था लेकिन वह कम्पनी इस काम को छोड़कर चली गई । वह कम्पनी जिन कारणों से यहां से गई मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा । हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रोजैक्ट को किस तरह से सिरे चढ़ाएं । यह सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजैक्ट है । यह मंडी दिल्ली की आजादपुर मण्डी के बिजनैस को टेक अप कर सकती है और नैशनल और इंटरनैशनल लेवल पर विकसित होने की कैपेबिलिटी इसमें है । इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कई तरह से प्रयास किये हैं कि हमें कोई पी.एम.ए. (प्रोड्यूस मार्केटिंग एसोसियेशन) मिल जाए जो इस मण्डी को विकसित करने और इसको चलाने की जिम्मेदारी ले तथा इसके इलावा अब हमने स्पैशल पर्पज व्हीकल बना दिए हैं और उसने काम शुरू कर दिया है । मेरा कहना है कि अभी तक फिजिकल प्रोग्रैस नहीं हुई है । वहां पर अभी कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है लेकिन स्पैशल पर्पज व्हीकल लगातार काम कर रहा है । अभी वहां पर जो–जो बिल्डिंग बननी है फिलहाल उनके नक्शे बन रहे हैं । ये नक्शे एक महीने

में पास हो जाएंगे । इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसे होगी इसके लिए हमने सी.एस. को उसका टैम्पोरेरी चेयरमैन बनाया है । हमने उसका एम.डी. लगा दिया है और इसके साथ–साथ इंजीनियर्ज भी लगा दिए हैं और उस पर लगातार काम हो रहा है । हम इसके रिसॉर्स जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मन में है कि इसका काम बहुत जल्दी से पूरा हो जाए । वहां पर जो सड़क, नहरें, मकान आदि थे हमारी सरकार के समय में उनको शिफ्ट करने का काम पूरा हो गया है । अतः वहां पर अब सब कुछ क्लीयर है । इस तरह से हमने वहां पर इस समय में बहुत सारा काम किया है । अब वहां पर कोई अड़चन नहीं है । अब इससे अगले काम शुरू करने का समय है। इन कामों की समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि वहां पर बहुत बड़े स्तर के काम होने हैं। वहां पर इंटरनैशनल मार्केट का हिस्सा भी बनना है, वहां पर बहुत–से एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स भी आ सकते हैं। वहां हमें इंटरनैशनल लैवल के प्लेयर्स के लिए स्पेस बनाना है, रीजनल लैवल के प्लेयर्स के लिए अलग स्पेस बनाना है, स्टेट लैवल के प्लेयर्स के लिए अलग से स्पेस बनाना है । वहां पर लोकल मार्केट के लिए जगह तैयार करनी है, हम कोल्ड चेन के लिए पूरा सिस्टम बनाने वाले हैं । हम वहां पर पैकेजिंग का पूरा सिस्टम तैयार करने वाले हैं क्योंकि वहां पर बिना पैकेजिंग के कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। वहां पर 10 हजार रोजाना गाड़ियां आने वाली हैं । हमें उनकी व्यवस्था भी करनी होगी। वहां पर बड़े व्यापारी भी आ सकते हैं तो उनके लिए बड़े होटल की व्यवस्था के बारे में भी सोचना पड़ेगा । वहां पर जितने लोग रहेंगे हमें उनकी व्यवस्था भी करनी होगी। अतः हम इन सब चीजों पर बारीकी से विचार कर रहे हैं। यह मण्डी पूरे भारत के लिए एक मार्गदर्शक साबित होगी। फिलहाल इस पर सॉफ्ट वर्क चल रहा है । इस पर अभी हार्ड वर्क होना बाकी है। हमें वहां पर बहुत ज्यादा काम करने होंगे और बहुत तेजी के साथ करने होंगे ।

श्री कुलदीप शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मार्केट में अभी बहुत काम होना बाकी है। Speaker Sir, the Hon'ble Minister should have given these details in his answer so that I could have resumed my seat satisfied with his answer. He has many plans in his mind. When those plans will fructify only God knows. However, the Hon'ble Minister stated that there was a water-way 'Rajbaha' which has been taken out of the premises of this market, it is wrong. It is very much in existence there. I go there almost every third

day. He has also stated that a road was passing through it and that too has been taken out, it is also wrong. The Hon'ble Minister may ask his officers for physical verification of this and report to him whether the road is in existence, whether the vehicles are passing everyday through this market or not? The road is there. Third thing is that a lot of people were to be displaced from the land adjoining to this agriculture market. Will the Hon'ble Minister kindly give me his undivided attention please? I seek the undivided attention of the Hon'ble Minister because land of 400-500 houses was acquired. Those people have been there. They are still there. What is the plan with this Government to settle the people who were going to be displaced for the development of this market?

Smt. Kiran Chaudhary: Speaker Sir, Hon'ble Minister should be specific.

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभाग द्वारा 54 आउसटीज, 171 कब्जाधारी और 14 आबंटियों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए एक विशेष समिति बनायी गयी है। दिसम्बर, 2015 में ग्राम पंचायत बड़ी की 78 एकड़ 8 मरला भूमि खरीदी गयी थी जिसके लिए 8.9 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर अदा किये गये हैं। इस भूमि पर कुछ विकास कार्य पूरे किये जा चुके हैं और कुछ किये जा रहे हैं। भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज विभाग से भी यहां पर एक ऊपरगामी पुल बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है। गन्नौर बेगा रोड से घसौली रोड तक के टुकड़े को दूसरे कार्य के लिए स्थानांतरित करने का कार्य दिनांक 10.5.2018 को 168.84 लाख रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है। अतंर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मार्केट गन्नौर के बीच से गुजरने वाली समालखा माईनर (जो बन्द पड़ी थी।) की 8.55 एकड़ भूमि को भी हरियाणा सरकार ने दिनांक 14.1.2016 को मार्केट कमेटी गन्नौर को स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने वन विभाग से दिनांक 2.8.2019 को 163 एकड़ भूमि को पी.एल.पी.ए. (पंजाब लैंड प्रिज़र्वेशन एक्ट) से मुक्त रखने की स्वीकृति ले ली है। ये सभी कार्य किये जा चुके हैं। (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि दिल्ली के फल–सब्जियों के दुकानदारों/ठेकेदारों को गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मार्केट में शिफ्ट होने के लिए इन्वाइट किया गया था। दिल्ली की हीरा सिंह मार्केट केवल 40 एकड़ लैंड पर है जबकि गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मार्केट का 550 एकड़ लैंड का पूल है। इस मण्डी में हिमाचल प्रदेश से सेब और सब्जियां आ रही हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली के एन.सी.आर. रीजन में भी बहुत से लोग सब्जी ऊगाते हैं और वे भी यहां पर अपनी सब्जियां लाकर बेच सकते हैं। जब दिल्ली के व्यापारियों को गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मार्केट में शिफ्ट होने के लिए इन्वाइट किया गया तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उनको दूसरे कई प्रोजैक्ट्स के बारे में भी बताया गया था। I was also a party of that discussion. उस समय एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उठी थी कि किसी भी सब्जी मंडी के कामयाब होने के लिए उस मंडी से रेलवे कनैक्टिविटी बहुत जरूरी है। बिना रेलवे कनैक्टिविटी के कोई भी सब्जी मंडी बड़े स्केल पर कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि रेलवे से ही किसी भी मंडी की कनैक्टिविटी सारे देश से हो सकती है। इसके साथ ही साथ उस समय एक और बात कही गई थी कि हरियाणा करोड़ों रुपये की मार्केट–फीस लूज करता है और वह सारी फीस दिल्ली प्रदेश को जाती है। मैं माननीय मंत्री जी को यह भी कहना चाहूंगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मंडी में पौल्ट्री फार्मर्ज के लिए भी एक सैक्शन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को पौल्ट्री के लिए दिल्ली के लोनी बॉर्डर और गोल मार्केट जाना पड़ता है और वहां जाकर उनको मार्केट–फी देनी पड़ती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारी इस मंडी में एक ऐसा सैक्शन डिवैल्प कर दिया जाये तो इन सारी संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को रेलवे कनैक्टिविटी देने के लिए सरकारी स्तर पर रेलवे मंत्रालय से प्रयास कर सकते हैं। रेलवे कनैक्टिविटी के बिना यह अंतर्राष्ट्रीय मंडी कामयाब नहीं हो सकती है, ऐसा वहां के व्यापारियों का भी सुझाव है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय में जब ऑफिसर्ज ने इस मंडी का प्लान दिखाया था तो उस समय इसमें पौल्ट्री का सैक्शन नहीं था। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर इस अंतर्राष्ट्रीय मंडी में 50 या 60 एकड़ जमीन पौल्ट्री फार्मर्ज के लिए भी अलॉट कर दी जाये तो ज्यादा अच्छा होगा,

15:00 बजे

इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसी संभावनाओं की तरफ जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी है कि जिस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मंडी बन रही है, माननीय सदस्य उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इन्होंने इतनी बारीकी से इन सब विषयों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारा एस.पी.वी. (स्पेशल परपज व्हीकल) इस अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मंडी को बनाने के लिए जिस आधार पर काम कर रहा है, उसमें उन्होंने दुनिया की सभी अच्छी मंडियों को देखा है और दुनिया की सभी अच्छी मंडियों की मैनेजमैंट से इंट्रैक्शन भी की है। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मंडी को बनाने के लिए किसी एक अच्छी मंडी का नमूना लेने के बजाय सभी अच्छी मंडियों का नमूना लिया है। उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मंडी बनाने के लिए सर्वाधिक अच्छा मॉडल चीन की शेन्जेन मंडी को माना है। इसके साथ ही साथ यह भी विचार किया जा रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मंडी में कैसे जीरो वेस्टिज हो और यह पानी और बिजली के मामले में कैसे सफीशियंट मंडी बने, इस प्रकार से ऐसे अनेक विषयों पर विचार किया जा रहा है। अभी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस अंतर्राष्ट्रीय मंडी में पौल्ट्री का भी सैक्शन होना चाहिए तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय मंडी में केवल फ्रैश वेजीटेबल का ही सैक्शन नहीं रहेगा, बल्कि ड्राई वेजीटेबल, प्रोसैस्ड वेजीटेबल और फ्रोजन वेजीटेबल का भी सैक्शन रहेगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि उस अंतर्राष्ट्रीय मंडी में सभी प्रकार के सैक्शन होंगे, जिनमें हम लोगों को फ्रैस वेजीटेबल, ड्राई वेजीटेबल, प्रोसैस्ड वेजीटेबल और फ्रोजन वेजीटेबल देंगे और इसके ऊपर बहुत ही गजब तरीके से काम चल रहा है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने उस अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मंडी से रेलवे कनैक्टिविटी की बात कही है, वह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है और मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि उस मंडी के नजदीक से ही एक रेलवे लाइन गुजरती है और हम निश्चित रूप से उस रेलवे लाइन से इस मंडी को जोड़ने की कोशिश करेंगे।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मंडी से रेलवे कनैक्टिविटी के लिए राजलू गढ़ी के रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया था। चूंकि अब सरकार के

प्रयासों के फलस्वरूप वहां पर रेलवे की एक वर्क–शॉप लग रही है, जबकि वहां पर रेलवे की फैक्ट्री लगाई जानी थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कुलदीप शर्मा जी, माननीय मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया है और आपकी बात भी मान ली है। आपका प्रश्न रेलवे से कनैक्टिविटी का था, जिसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ. बनवारी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, इनको चार–चार बार सप्लीमैंट्री क्वैश्चन नहीं पूछना चाहिए।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर मैं कोई कन्स्ट्रक्टिव बात कह रहा हूं तो उसे इनको सुनना चाहिए। I am not wasting the time of the House. He doesn't understand what I am saying.

श्री अध्यक्षः कुलदीप शर्मा जी, आपका प्रश्न इस अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मंडी से रेलवे की कनैक्टिविटी का था, उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है, इसलिए कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जायें।

श्री कुलदीप शर्माः स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा जी को बुलाकर इनके सारे सुझावों को अच्छी तरह से सुन लेंगे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, कृपया आप सभी लोग उनकी बात सुन लें।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा जी ने रेलवे कनैक्टिविटी की जो बात कही है, उस संबंध में मैं इनको एक नई जानकारी देना चाहूंगा कि रेलवे की इंस्पैक्शन के लिए एक आर. आर.टी.एस. (रिजनल रैपिड ट्रैन्जिट सिस्टम) की योजना है, जिसके तहत दिल्ली को 6 तरफ से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बनाई जा रही है। इनमें से एक सराय काले खां से पानीपत की जो रेलवे लाइन है, उसका सर्वे शुरू हो गया है और इसकी डी.पी.आर. भी बन रही है। इन 6 रेलवे लाइनों में से एक सराय काले खां से मेरठ और दूसरा सराय काले खां से शाहजहांपुर इन दो रेलवे लाइनों की डी.पी. आर. भी बन चुकी है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी इस योजना के तहत सराय काले खां से पानीपत की जो रेलवे लाइन बनाई जानी है,

उसका सर्वे अभी चल रहा है और वह रेलवे लाइन निश्चित रूप से गन्नौर के आस–पास से होकर ही निकलेगी, इस तरह इस रेलवे लाइन का दिल्ली से पानीपत का जो सर्विस है, उससे गन्नौर को भी लाभ होगा।

Supply of Drinking Water

***3086. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether it is a fact that the drinking water supply is not proper in the villages Dodwa, Tihar Kalan, Bohla, Kheri Damkan and Guhna of Gohana Constituency; if so, the steps taken by the Government to solve the abovesaid problem?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ० बनवारी लाल) : श्रीमान जी, गांव गुहना में पेयजल आपूर्ति में कुछ कमी है, जब कि गांव डोडवा, तिहाड़ कलां, बोहला तथा खेड़ी दमकाण में पेयजल आपूर्ति उचित व पर्याप्त है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न से संबंधित कोई भी तथ्यपूर्ण जवाब नहीं दिया है। गांव गुहना वाटर वर्क्स में पिछले 4 वर्षों में पीने का पानी नहीं पहुंचा है। इस बात का डिपार्टमैंट को भी पता है। अध्यक्ष महोदय, जब वाटर वर्क्स में पानी ही नहीं पहुंचा तो वहां पर पानी की सप्लाई की बात कहां से आ गई? जहां तक पाईप लाईन की बात है तो गांव के एक तिहाई हिस्से में पाईप लाईन ही नहीं डाली गई है। इस गांव में पीने के लिए पानी बाहर से मंगवाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमैंट ने भी इस बात को माना है कि वाटर वर्क्स से तो तालाबों को भी फीड नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए दूसरे माइनर से चैनल बनानी पड़ेगी तभी जाकर वहां पानी की उचित व्यवस्था की जा सकती है। जहां तक बोहला गांव की बात है तो डिपार्टमैंट के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी माना है कि इस गांव का पानी तो पीने लायक भी नहीं है। यदि हम टी.डी.एस. की बात करें तो इस गांव के पानी का टी.डी.एस. 4 हजार के करीब है। अध्यक्ष महोदय, जिस गांव का पानी पीने लायक भी नहीं है तो इस हालात में गांव के लोग अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करेंगे? अध्यक्ष महोदय, इन चारों गांवों में पीने के पानी की शिकायत माननीय याचिका समिति के संज्ञान में भी आई थी और माननीय याचिका समिति ने इस विषय पर संज्ञान भी लिया था। अध्यक्ष महोदय, माननीय याचिका समिति के संज्ञान लेने के उपरांत विभाग ने इन गांवों में पीने के

पानी को लेकर कार्रवाई तो शुरू कर दी लेकिन यह मामला अभी भी लटका हुआ है। अभी तक गांव बोहला में वाटर वर्क्स भी नहीं बनाया गया है और अंडर ग्राउंड पाईप लाईन की व्यवस्था भी शुरू नहीं की गई है तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में गांव बोहला के लोगों को स्वच्छ पानी मिल जायेगा। इसी प्रकार से गांव डोडवा और गांव खेड़ी दमकाण में भी अंडर ग्राउंड पाईप लाईन नहीं डाली गई है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आने वाले समय में इन कमियों को दूर करके इन चारों गांवों के लोगों को पीने का पानी कब तक दिया जायेगा? अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन चारों गांवों के पानी की टी.डी.एस. संबंधित रिपोर्ट भी बताने का कष्ट करें।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने सदन में जानकारी दी है कि गांव गुहना में पीने का पानी नहीं है। माननीय सदस्य की यह बात सच है कि इस वाटर वर्क्स में पानी की आपूर्ति कम है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस गांव में पानी न पहुंचने का एक मुख्य कारण यह भी है कि पीछे से नहर से पानी चोरी कर लिया जाता है। हमने इस पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, लिफ्टिंग के जरिये से 4–5 किलोमीटर की दूरी से पानी लाने के लिए इसका सर्वे किया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि इन गांवों में पानी की पाईप लाईन भी नहीं डाली गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि हमने लगभग 69 लाख 86 हजार रुपये के 6 इंच और 4 इंच पाईप का जो एस्टीमेट्स बनाया था, उसकी सरकार ने मंजूरी दे दी है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो गांव गुहना की हो गई, इस बात को हम मान लेते हैं लेकिन गांव बोहला के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आज के दिन इस गांव में पीने के पानी का 4000 टी.डी.एस. है और यहां का पानी पीने लायक भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसका कोई न कोई समाधान जरूर करना चाहिए ताकि वहां की जनता को स्वच्छ पानी मिल सके।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव बोहला में 1103 के आसपास जनसंख्या थी, अब यह जनसंख्या बढ़कर के 1279 हो गई है। गांव बोहला को दो ट्यूबवैलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है और यहां की ग्राम पंचायत

को वर्ष 2011 के दौरान ये दोनों ट्यूबवैल सौंप दिए गऐ थे, जिसके लिए 15 हजार रुपये प्रति माह खर्चा किया जाता है लेकिन अब हमारी सरकार ने 15.07.2019 से इसे बढ़ाकर 20 हज़ार रूपये प्रति मास के हिसाब से रखरखाव के लिए देना शुरू किया है। हालांकि समय बीतने के साथ ही साथ यह माना गया है कि पीने के पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है तथा भूमिगत जल का स्तर भी नीचे गया है। इस अनिश्चित स्थिति को देखते हुए गांव भोला के सरपंच ने स्थाई जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नहरी स्कीम के तहत एक इंडीपैंडैंट वॉटर वर्क्स की मांग की थी। इसके लिए हमने 1,13,20,000/– रूपये का अनुमान पास कर दिया है। इस काम के टैण्डर इत्यादि लगवा दिये गये हैं इसलिए जैसे ही टैण्डर प्रक्रिया पूरी होगी यह काम शुरू हो जायेगा और उसके बाद इस गांव में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब तक गांव भोला में नहरी वॉटर वर्क्स फंक्शनल नहीं हो जाता तब तक वहां पर पीने के पानी की सप्लाई किस प्रकार से की जायेगी क्योंकि वहां पर अण्डरग्राउंड वॉटर पीने योग्य नहीं है।

डॉ. बनवारी लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जब तक गांव भोला में नहर आधारित वॉटर वर्क्स फंक्शनल नहीं हो जाता तब तक वहां पर पहले से स्थापित जो दो ट्यूबवैल्ज़ हैं उनसे ही पीने के पानी की सप्लाई की जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर पीने का पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और वहां पर लोगों को टैंकर्स से खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है जिसके लिए उनको 1000/– प्रति टैंकर के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है। यह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से गांवों की स्थिति है। हमारे यहां बापौड़ा गांव है जहां चौधरी बंसी लाल जी ने एक वॉटर वर्क्स बनाया था जिससे आसपास के 40 गांवों को पानी की सप्लाई होती थी लेकिन आज वहां पर लोग 1000 रूपये प्रति टैंकर के हिसाब से भुगतान करके पानी पी रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह क्वैश्चन पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करवायेंगे कि जिन गांवों में पीने के पानी की कमी है वहां पर पब्लिक हैल्थ विभाग की तरफ से लोगों को टैंकर के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाये ताकि लोगों को अपने पैसे से खरीदकर पानी पीने की समस्या से मुक्ति मिले।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में जिन गांवों में पीने के पानी की कमी है वहां पर हमारे विभाग द्वारा टैंकर्ज़ के माध्यम से पीने के पानी की सप्लाई करवाई जा रही है। इससे सम्बंधित पूरा रिकार्ड मेरे पास अवेलेबल है अगर माननीय सदस्या रिकार्ड देखना चाहें तो ये मेरे ऑफिस में आकर कभी भी देख सकती हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को जमीनी स्थिति ही बता रही हूं कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को पीने के पानी के लिए 1000/– रूपये प्रति टैंकर के हिसाब से अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को फिर से यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या है उनमें हमारे विभाग द्वारा टैंकर्ज के माध्यम से पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है इसलिए इस प्रकार की कोई समस्या नही है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपके सवाल का जवाब आ गया है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें।

———————

To Give Ownership Rights

***3081. Shri Lalit Nagar:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the ownership rights has not been given so far to the residents of Sharmik Vihar Colony of Tigaon Assembly Constituency; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to give ownership rights to the abovesaid peoples togetherwith the details thereof?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): हॉ, श्रीमान जी। आवेदकों द्वारा मकान की कीमत व वांछित दस्तावेज अर्थात वास्तविक निवासी होने बारे, इस आष्य का षपथ–पत्र कि उनके पास फरीदाबाद में कोई अन्य रिहायषी इकाई/ मकान नहीं है व 10 वर्षो के भीतर ब्रिकी/ हस्तान्तरण न करने बारे षपथ–पत्र, जमा कराने उपरान्त आबंटन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।

कुल 725 लाभार्थी थे दिनांक 04.07.1993 को निकाली गई लाटरी के उपरान्त इनमे से 388 व्यक्ति श्रमिक विहार कालोनी में 36 वर्ग गज प्लाट हेतु सफल रहे थे। 388 सफल आवेदको में से, 183 व्यक्ति/आवेदकों द्वारा 500 रूप्ये प्रति वर्ग दर से अर्थात 18000 रूप्ये जमा करा दिये गये थे। 153 आवेदको द्वारा

कोई राषि जमा नहीं करवाई गई। 52 आवेदकों ने प्लाट आबंटन से इन्कार कर दिया। बकाया 337 व्यक्तियों ने जिनको मालिकाना हक सुनिष्चित करते हुए टोकन दिये गये थे, वांछित दस्तावेज और प्लाट की कीमत जमा नहीं कराई है।

336 आवेदक अवैध तरीके से प्लाट पर कब्जा करके श्रमिक विहार कालोनी में रह रहे हैं।

श्री ललित नागर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि श्रमिक विहार कालोनी के आवेदकों द्वारा पैसे जमा नहीं करवाये गये हैं और उन्होंने आवश्यक डॉकूमैंट्स जमा नहीं करवाये। इस मामले में सच बात यही है कि गवर्नमैंट की पॉलिसी के तहत ही इन लोगों को 36–36 गज के प्लॉट्स अलॉट किये गये थे। उस समय उनको यह कहा गया था कि वहां पर उनको प्लॉट्स दिये जायेंगे। इसके लिए 723 लोगों ने एप्लाई किया। हर आदमी ने अपने–अपने तरीके से अपने सभी डॉकूमैंट्स जमा करवाये। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई एक डॉकूमैंट जमा नहीं हो पाया तो उसकी पात्रता को रद्द कर दिया गया। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की उस समय पैमेंट लेट हो गई तो उसकी पात्रता को भी कैंसिल कर दिया गया। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ये सभी गरीब आदमी हैं। इन गरीब आदमियों को 36–36 गज के प्लॉट्स अलॉट किये गये। सरकार द्वारा इनके साथ बाकायदा एग्रीमैंट किये गए हैं और इनकी पेमैंट जमा हो चुकी है। जब इस मामले की पूरी की पूरी डिटेल निकलवाई जायेगी तो सारी की सारी बातें क्लीयर हो जायेंगी। ऐसी बात नहीं है कि इनके पैसे जमा नहीं हुए। इन सभी के पैसे जमा हो गये थे। ऐसा हो सकता है कि किसी लाभार्थी का एक डॉकूमैंट जमा नहीं हो पाया उसकी वजह से उसको प्लॉट नहीं दिया गया। इसी प्रकार से किसी के डॉकूमैंट्स में कोई छोटी ढ़ील हो गई तो उसकी वजह से उसको प्लॉट नहीं दिया गया। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं और और माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सभी 723 निवासियों को जो वहां पर घर बनाकर रह रहे हैं ऑनरशिप के कागज नहीं दिये गये हैं। मेरी यह मांग हैं कि इन सभी 723 निवासियों को ऑनरशिप के कागज देकर उनके खातों को पूरा किया जाये। आज हालात ये बने हुये हैं कि वे लोग परेशान हैं कि हमने घर बना लिये हैं और हमें उन घरों का मालिकाना हक के कागज नहीं मिले हैं जबकि हमने इन घरों को बनाने के लिए पैसा भी लगा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि किसी स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी लगा कर

इस समस्या का समाधान करवाया जाये। अगर किसी के छोटे से दस्तावेज के कारण या लेट पेमैंट के कारण काम अटका हुआ है तो उसको पूरा करवाइये। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि वहां पर 336 लोग अवैध रूप से रह रहे है, यह बात ठीक नहीं है। वहां पर कोई भी अवैध रूप से नहीं रह रहा है। सरकार ने उनको प्लाट आबंटिते किये हुये हैं तथा उनके पास जमा किये गये पैसे की रसीदें हैं, उनके पास अलॉटमैंट लैटर हैं, वे अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं। सरकार को सिर्फ कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी जिससे उनके दस्तावेज बन जायेंगे और उनको मालिकाना हक मिल जायेगा। पिछली बार भी विधान सभा में प्रश्न उठा था उसके बाद फिर यह ठंडे बस्ते में चला गया। जब प्रश्न लगता है तो विभाग के अधिकारी कुछ भागदौड़ करते हैं तथा कुछ कार्रवाई करते हैं। आज जब यहां पर प्रश्न लगा है तो कुछ कार्रवाई हुई है इसके बाद वह फाइल फिर से बंद करके रख देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उन लोगों की समस्या का समाधान करके उनको मालिकाना हक दिलवाया जाये।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि वहां पर कोई अवैध रूप से नहीं रह रहा है तो मैं फिर से रिकॉर्ड के साथ कहता हूं कि वहां पर 336 लोग अवैध रूप से रहे रहे हैं। उनमें से कुछ के मामले तो कोर्ट में भी लम्बित हैं। इसके बावजूद भी इस श्रमिक विहार कालोनी, फरीदाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2015–16 में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से इनमें विकास कार्य पूरे करवाये हैं। सरकार की मंशा यह रही है कि उनका यहां पर पुनर्वास किया जाये और जो भी प्लाट लेना चाहता है तथा वह योग्य पात्र है तो उनको प्लाट मिले। इन प्लाटों के लिए 1993 में तत्कालीन सरकार ने शर्तें तय की थी। माननीय सदस्य वहां से विधायक हैं और मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इस काम में सहयोग करें। उसमें मुख्य शर्त यह है कि उनके पास फरीदाबाद में कोई डिवैलिंग यूनिट न हो और 10 साल तक उस प्लाट को वे बेचेंगे नहीं। अगर माननीय सदस्य इतनी मदद कर दें तो यह मामला सैटल हो सकता है।

.....

To Line/Repair the Canals

***3105. Shri Aseem Goel :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to

line/repair the SYL and Narwana canals falling under the Ambala District; if so, the details thereof?

Agriculture and Farmer's Welfare Minister (Shri O. P. Dhankhar): No, Sir. The other part of the question, therefore, does not arise.

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, 1962 में भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। उस समय भाखड़ा मेन लाईन के माध्यम से 10 हजार क्यूसिक पानी हरियाणा के हिस्से का आता था। उसमें से लगभग 4150 क्यूसिक पानी नरवाना ब्रांच के माध्यम से हरियाणा में सप्लाई होता है। वक्त के साथ यह नहर पुरानी हुई और आज के दिन उसकी कैपेस्टिी कम हो गई है। आज 4150 क्यूसिक की बजाय लगभग 3 हजार क्यूसिक पानी नरवाना ब्रांच से प्राप्त हो रहा है। उसके पैरलल एस.वाई.एल. नहर बनी हुई है उसमें लगभग 1200 क्यूसिक पानी लेना पड़ता है। इसके लिए सरहिंद के पास सौंडा हैड से हरियाणा में प्रवेश करने के लिए 49 किलोमीटर की लम्बाई है। उससे आगे हरियाणा में भी बुडेड़ा हैड तक 49 किलोमीटर की लम्बाई है। पंजाब में तो इस नहर की स्थिति बहुत अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इन्होंने डब्ल्यू.जे.सी. में करोड़ों रुपये का काम करवाया है। इसके अतिरिक्त हमारी पीने के पानी की सप्लाई के लिए एक जो दूसरी महत्वपूर्ण नहर है उसका काम भी करवाया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव के नाते से कहना चाहूंगा कि नरवाना ब्रांच और एस.वाई.एल. नहर की लाईनिंग गिर चुकी हैं जिसकी वजह से हम उनके पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए अगर उन नहरों के पुनरूद्वार का काम हो जाए तो किसानों को उन नहरों का पानी भी मिल सकेगा क्योंकि अगर हम एस.वाई.एल. नहर से 1200 क्यूसिक पानी को लेते हैं तो उसमें से रिसाव के कारण 300 से 400 क्यूसिक पानी वेस्ट हो जाता है जोकि किसान के खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग नहीं हो पा रहा है । अगर इस रिसाव को ठीक करवा दिया जाए तो इस पानी को लगभग 50 हजार हैक्टेयर जमीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जोकि अब वेस्ट जा रहा है । अतः रिसाव को ठीक करवाकर इस पानी को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी मिल सके । इसके साथ ही नग्गल लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के माध्यम से नरवाना ब्रांच से गेट लगाकर एस.वाई.एल. नहर में पानी लेते हैं और एस.वाई.एल. नहर से गेट लगाकर कांवला डिस्ट्रीब्यूट्री के माध्यम से पूरे जिले

में पानी जाता है । श्रीमान जी, मेरा निवेदन है कि कांवला डिस्ट्रीब्यूट्री का लैवल एस.वाई.एल. नहर से काफी ऊंचा है और हमें एस.वाई.एल. नहर में 17 फुट तक पानी को रेज करके कांवला डिस्ट्रीब्यूट्री के पूरे लैवल तक लाना पड़ता है और जब जीरो से एक किलामीटर तक 17 फिट पानी भरते हैं तो 300 से 400 क्यूसिक पानी रिसाव के माध्यम से वेस्ट चला जाता है । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि एस.वाई.एल. नहर के उस टुकड़े की लाईनिंग न केवल आर.सी.सी. की बनवाई जाए अपितु उसके बैड को भी पक्का करवाया जाए ताकि सीपेज के माध्यम से उस पानी के रिसाव को रोका जा सके । इसके साथ ही नरवाना ब्रांच की पूरी की पूरी 49 किलोमीटर की लाईनिंग का भी काम करवाया जाए । धन्यवाद ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जल बचाव का जो अभियान चल रहा है उसके प्रति आदरणीय साथी ने अपना कसर्न व्यक्त किया है । उसमें इन्होंने जो तथ्य दिए हैं वे भी सही दिये हैं कि हम 1500 करोड़ रुपये खर्च करके सारी यमुना प्रणाली के पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम कर रहे हैं । हम नरवाना ब्रांच के 4200 क्यूसिक पानी में से लगभग आधा पानी एस.वाई.एल. नहर के थ्रू ले जाते हैं। माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि कि 1200 क्यूसिक पानी में से लगभग आधा पानी नहर खुद पी जाती है । इस नाते से मैं माननीय सदस्य के सुझाव को मानता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमारा सारा सिस्टम काफी पुराना है जिसकी वजह से इस नहर की पानी लेने की कैपेसिटी 30 प्रतिशत तक ही रह गई है । इस नहर में कुल मिला कर एक करोड़ एकड़ फिट पानी बहता है इसलिए सरकार ने यमुना प्रणाली को प्राथमिकता पर लेते हुए 143 करोड़ रुपये की लागत से एक लिफ्ट सिस्टम शुरू किया है । सरकार धीरे–धीरे नहरों में बाकी कामों पर भी आगे बढ़ रही है ताकि हम अधिक से अधिक पानी बचा सकें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Clinical Establishment Act

***3079. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Clinical Establishment Act has been enforced in the State; and

(b) if so, details of State/District-wise authorities constituted under the Act mentioned above?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) हां श्रीमान जी, (ख) एक राज्य स्तर और 22 जिला स्तर के अधिकारियों(प्रत्येक जिले में एक) का गठन अधिनियम के तहत किया गया है, क्रमशः अधिसूचना संख्या का0आ058/के0अ023/2010/धा08/2018,दिनांक 5 सितम्बर, 2018 और संख्याका0आ059/ के0अ023/2010/धा010/2018, दिनांक 5 सितम्बर, 2018 है।

.....

To Fill Up Vacant Posts of Doctors

***3087. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Health Minister be pleased to state the health centre wise vacant posts of doctors in Nagrik CHCs and PHCs of Gohana Constituency togetherwith the time by which the abovesaid posts are likely to be filled up?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी है। श्रीमानजी, गोहाना निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक अस्पताल, गोहाना तथा 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल 40 स्वीकृत पदों में से 7 पद रिक्त हैं। इनमें 3 चिकित्सा अधिकारियों के पद नागरिक अस्पताल, गोहाना तथा चिकित्सा अधिकारी का एक–एक पद प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर कलां, मोई माजरी, माहरा तथा सरगथल के शामिल है। इन रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया के बाद भरे जाने की संभावना है।

सूचना

गोहाना निर्वाचन क्षेत्र में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी तथा दन्तक सर्जनों की स्टाफ स्थिति इस प्रकार है–

क्र0सं0	संस्था का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	नागरिक अस्पताल, गोहाना	9	6	3
2	समुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुआं	2	4	0 (2 अतिरिक्त)
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर कलां	2	1	1
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाठ	2	2	0

5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरगथल	2	1	1
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुबेटा	2	2	0
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोई माजरी	2	1	1
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माहरा	2	1	1
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुटाना जफराबाद	2	2	0
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटगांव	2	2	0
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहाना	2	2	0
	कुल	**29**	**24 (2 अतिरिक्त)**	**7**
	दन्तक सर्जनों की स्टाफ स्थिति			
1	नागरिक अस्पताल, गोहाना	1	1	0
2	समुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुआं	1	1	0
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर कलां	1	1	0
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाठ	1	1	0
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरगथल	1	0	1
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुबेटा	1	1	0
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोई माजरी	1	0	1
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माहरा	1	1	0
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुटाना जफराबाद	1	1	0
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटगांव	1	1	0
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहाना	1	1	0
	कुल	**11**	**9**	**2**
	कुल जोड़	**40**	**33 (2 अतिरिक्त)**	**9 (2 अतिरिक्त)**

.....

Supply of Drinking Water

***3082. Shri Lalit Nagar:** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply drinking water in Rajiv Nagar and Santosh Nagar of Tigaon Assembly Constituency; if so, the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमानजी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि राजीव नगर व संतोष नगर की बस्तियां/कॉलोनियां,हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की अतिक्रमित भूमि पर है।हालांकि, नगर निगम,

फरीदाबाद इन क्षेत्रों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल.पी.सी.डी.) पानी की आपूर्ति कर रहा है।इसक `अलावा आवश्यकता पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति भी की जाती है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Details of Crushing and Screening Plants

790. Smt. Kiran Chaudhary: Will the Environment Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that many crushing and screening plants are operating without registered license from authorities close to the large portion of the Right Lower Down Stream Embankment (RLDSE) of the Yamuna area in Tajewala village of Yamuna Nagar; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the action taken by the Government in the above said matter.

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : श्री मान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) हरियाणा राज्य प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा बिना बोर्ड की सहमति के अवैध रूप से चल रही किसी इकाई/ स्टोन क्रैशर/ स्क्रीनिंग प्लांट को पहचानने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। किसी भी स्टोन क्रैशर और स्क्रीनिंग प्लांट को अवैध रूप से चलने नहीं दिया जाता है यदि उसके पास चलाने की सहमति नहीं है।

हरियाणा राज्य प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में किए गए निरिक्षण के दौरान, यमुनानगर के गांव ताजेवाला में यमुना क्षेत्र के एमबैंकमैन्ट में 09 स्क्रीनिंग प्लांट ईकाइयां बिना बोर्ड की स्थापना की सहमति/ चलाने की सहमति के अवैध रूप से चलती पाई गई। इन सभी 09 इकाइयों को बोर्ड द्वारा तुरन्त बन्द कर दिया गया और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध अभियोग की कार्यवाही षुरू कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त 06 अन्य स्क्रीनिंग प्लांट ईकाइयां, (जो बोर्ड की सहमति से चल रही थी व जिनके विरूद्ध सिंचाई विभाग से खनन मानको के उल्लंघन करने की षिकायत प्राप्त हुई थी उन्हें भी बन्द कर दिया गया है और बोर्ड द्वारा उनको दी गई सहमति को निरस्त कर दिया गया है तथा उनके विरूद्ध अभियोग की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। इन सभी 15 इकाइयों की सूची और उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण अनैक्चर पर संलग्न है।

Annexure

Details of Screening plants which were operating close to the large portion of the right lower downstream embankment (RLDSE) of the Yamuna area in Tajewala village of Yamuna Nagar.

Sr. No.	Name & address of units	Action Taken
1.	M/s Friends Screening Plant, Village Tajewala, Khizarabad, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019, vide order no. HSPCB/PC/2019/544-547 dated 30.04.2019. CTE/CTO revoked vide order no. HSPCB/PC/2019/1427 dt. 01.07.2019. The prosecution action against the unit & its proprietor/partner is under process.
2.	M/s R.S.K. Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019, vide order no. HSPCB/PC/2019/520-523 dated 30.04.2019. CTE/CTO revoked vide order no. HSPCB/PC/2019/1439 dt. 01.07.2019 The prosecution action against the unit & its proprietor/partner is under process.
3.	M/s Taj Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019, vide order no. HSPCB/PC/2019/524-527 dated 30.04.2019. CTE/CTO revoked vide order no. HSPCB/PC/2019/1444 dt. 01.07.2019. The prosecution action against the unit & its proprietor/partner is under process.
4.	M/s Isran Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019, vide order no. HSPCB/PC/2019/532-535 dated 30.04.2019. CTE/CTO revoked vide order no. HSPCB/PC/2019/1970-71 dt. 30.07.2019. The prosecution action against the unit & its proprietor/partner is under process.
5.	M/s Anmol Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019, vide order no. HSPCB/PC/2019/540-543 dated 30.04.2019. CTE/CTO revoked vide order no.

Sr. No.	Name & address of units	Action Taken
		HSPCB/PC/2019/1441 dt. 01.07.2019 The prosecution action against the unit & its proprietor/partner is under process.
6.	M/s Guru Kirpa Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019, vide order no. HSPCB/PC/2019/536-539 dated 30.04.2019. CTE/CTO revoked vide order no. HSPCB/PC/2019/1421 dt. 01.07.2019. The prosecution action against the unit & its proprietor/partner is under process.
7.	M/s Mehta Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 06.02.2018, running without CTE/CTO vide order no. HSPCB/2018/3708-10 dated 18.01.2018. The land record of the unit for initiating the prosecution against the proprietor/partner of the unit has been demanded from the Tehsildar vide letter no. HSPCB/YMN/2019/18122 dated 28.06.2019.
8.	M/s Rahimiya Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019 vide order no. HSPCB/PC/2019/185 dated 13.04.2019, running without CTE/CTO. The land record of the unit for initiating the prosecution against the proprietor/partner of the unit has been demanded from the Tehsildar vide letter no. HSPCB/YMN/2019/18122 dated 28.06.2019. The land record of the unit for initiating the prosecution against the proprietor/partner of the unit has been demanded from the Tehsildar vide letter no. HSPCB/YMN/2019/18122 dated 28.06.2019.
9.	M/s Harun Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019 vide order no. HSPCB/PC/2019/528-531 dated 30.04.2019, running without CTE/CTO.

Sr. No.	Name & address of units	Action Taken
		The land record of the unit for initiating the prosecution against the proprietor/partner of the unit has been demanded from the Tehsildar vide letter no. HSPCB/YMN/2019/18122 dated 28.06.2019.
10.	M/s HaziFateh Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019 vide order no. HSPCB/PC/2019/487 dated 27.04.2019, running without CTE/CTO. The land record of the unit for initiating the prosecution against the proprietor/partner of the unit has been demanded from the Tehsildar vide letter no. HSPCB/YMN/2019/18122 dated 28.06.2019.
11.	M/s Bansal Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019 vide order no. HSPCB/PC/2019/479 dated 27.04.2019, running without CTE/CTO. The land record of the unit for initiating the prosecution against the proprietor/partner of the unit has been demanded from the Tehsildar vide letter no. HSPCB/YMN/2019/18122 dated 28.06.2019.
12.	M/s Aayan Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019, running without CTE/CTO vide order no. HSPCB/PC/2019/281 dated 13.04.2019. The land record of the unit for initiating the prosecution against the proprietor/partner of the unit has been demanded from the Tehsildar vide letter no. HSPCB/YMN/2019/18122 dated 28.06.2019.
13.	Mannour Stone Crusher & Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019 vide order no. HSPCB/PC/2019/361 dated 13.04.2019, running without CTE/CTO. The land record of the unit for initiating the prosecution against the proprietor/partner of the unit has been demanded from the Tehsildar vide letter no. HSPCB/YMN/2019/18122 dated 28.06.2019.
14.	Avon Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019 vide order no. HSPCB/PC/2019/249 dated 13.04.2019, running without CTE/CTO.

Sr. No.	Name & address of units	Action Taken
		The prosecution action against the unit & its proprietor/partner recommended to Head Office vide this office letter no. HSPCB/YR/2019/16942 dt.06.05.2019.
15.	Anil Screening Plant, Village Tajewala, Yamuna Nagar	Closed by Board on 02.05.2019 vide order no. HSPCB/PC/2019/229 dated 13.04.2019, running without CTE/CTO. The land record of the unit for initiating the prosecution against the proprietor/partner of the unit has been demanded from the Tehsildar vide letter no. HSPCB/YMN/2019/18122 dated 28.06.2019.

.....

Details of Contractual/DC Rate Employees

796. Shri Karan Singh Dalal : Will the Health Minister be pleased to state the details of contractual/DC rate employees working in the Civil Hospital of Palwal from the year 2015 till to date?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, वर्ष अनुसार विवरण निम्न तालिका अनुसार है।

विवरण

क्रम संख्या	वित्त वर्ष	नागरिक हस्पताल पलवल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के अन्तर्गत अनुबंधित कर्मचारी।
1.	2015-16	74
2.	2016-17	52
3.	2017-18	56
4.	2018-19	62
5.	2019-20	69

.....

Construction of Roads

791. Shri Ved Narang : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from village Kharar Alipur to Village

Khokha and village Khokha to village Niyana of Barwala Constituency; if so, the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी।

(क) गांव खरड़ अलीपुर से गांव खोखा सड़क– यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित है, जिसकी लम्बाई 5 कि0मी0 है व इस सड़क का निर्माण वर्ष 2003 के दौरान किया गया था। इस सड़क को 12 फुट से 18 फुट तक चौड़ा करने व मज़बूत करने के लिए 122.99 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 30.07.2019 को जारी की जा चुकी है। इसकी निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है जोकि 14.08.2019 तक प्राप्त होनी है।

(ख) गांव खोखा से नियाणा सड़क– यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित है, जिसकी लम्बाई 5.03 कि0मी0 है तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2003 के दौरान इस सड़क को निर्मित किया गया था। यह सड़क मरम्मत व रख–रखाव के लिए 10.03.2011 को लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग को स्थानातंरित हुई थी। इस सड़क को 12 से 18 फुट चौड़ा व मज़बूत करने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत तैयार की जा चुकी है तथा आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

.....

To Build New Capital of Haryana

794. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to State-

(a) whether the Government of Haryana intend to build a new capital of its own in the State; and

(b) If so, the details thereof?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) उपरोक्त (क) के मध्यनजर कोई सवाल नहीं उठता ।

.....

To Develop HUDA Sectors in Gohana

804. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the

Government to develop HUDA Sectors in Gohana; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): हां श्रीमान जी, तीन सैक्टर अर्थात् सैक्टर–13 (रिहायशी), सैक्टर–16 (रिहायशी) एवं सैक्टर–17 ए (ट्रांसपोर्ट नगर), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा गोहाना में विकसित करना प्रस्तावित है ।

.....

To Open PHCs

792. Shri Ved Narang : Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open PHC in villages Mirzapur and Niyana of Barwala Assembly Constituency; and

(b) If so, the details thereof?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) : नही, श्री मान जी।

.....

Action Taken Against Illegal Cutting of Trees

795. Shri Karan Singh Dalal: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the number of trees cut in the Shardanand Park, New Colony, Palwal; and

(b) whether it is a fact that no permission was obtained to cut the trees mentioned at (a) above; if so, the action taken by the Government so far?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमानजी,

(क) व (ख) नगर परिषद पलवल द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा शारदानंद पार्क, न्यू कॉलोनी, पलवल में कोई भी वृक्ष नहीं काटा गयाहै।

.....

Re-Employment of Safai Karamcharis

805. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that some safai karamcharis of HUDA are on strike due to retrenchment since 28th June, 2019;

and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to re-employ the abovesaid Safai Karamcharis?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (श्रीमती कविता जैन) : हां, श्रीमान जी,

(क) सैक्टर–7, हुडा में जो सफाई कर्मचारी हडताल पर हैं, वे एक निजी ठेकेदार से सम्बन्धित हैं, जिन्हें तत्कालीन हुडा, अब एच0एस0वी0पी0 द्वारा 3 वर्ष के लिए टैण्डर दिया गया था और यह 30–06–2019 को समाप्त हो चुका है । इसके उपरांत नगर परिषद, गोहाना द्वारा सैक्टर–7 की सफाई का कार्य अपने स्तर पर अपने कर्मचारियों से करवाया जा रहा है । नगर परिषद, गोहाना द्वारा किसी अन्य सफाई कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है ।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

Number of Registered Cancer and Aids Patients

800. Shri Karan Singh Dalal : Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the district wise death rate of Cancer and AIDS patients in the State; and

(b) the district wise number of Cancer and AIDS patients registered with the Government hospitals in the State ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क)

- मेडिकल सर्टिफिकेषन ऑफ कॉज़ ऑफ डैथ (एम.सी.सी.डी) आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कैलेंडर वर्ष 2016 व 2017 में कैंसर की मृत्यु दर क्रमषः 3.48 व 5.01 प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर हैं। एम.सी.सी.डी के अंतर्गत जिलावार आंकड़ें उपलब्ध नहीं है।

- मेडिकल सर्टिफिकेषन ऑफ कॉज़ ऑफ डैथ (एम.सी.सी.डी) आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कैलेंडर वर्ष 2016 व 2017 में एड्स की मृत्यु दर क्रमषः 0.08 व 0.16 प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर हैं। एम.सी.सी.डी के अंतर्गत जिलावार आंकड़ें उपलब्ध नहीं है।

(ख)

- राज्य के सरकारी अस्पतालों/संस्थानो द्वारा हरियाणा कैंसर एटलस के अंतर्गत अपलोड किए गए कैंसर के मामलों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार हैः

क्रमांक	जिले का नाम	वर्ष		
		2016	2017	2018
1	अम्बाला	115	133	231
2	भिवानी	6	0	0
3	फरीदाबाद	46	122	104
4	फतेहाबाद	33	78	99
5	गुरूग्राम	3	12	6
6	हिसार	397	253	127
7	झज्जर	116	73	5
8	जीन्द	13	72	118
9	कैथल	88	0	231
10	करनाल	186	224	38
11	कुरूक्षेत्र	157	194	130
12	महेन्द्रगढ	63	57	88
13	मेवात	152	163	301
14	पलवल	9	40	79
15	पंचकूला	148	126	179
16	पानीपत	77	86	93
17	रिवाडी	57	65	51
18	रोहतक	3845	4185	4008
19	सिरसा	19	103	56
20	सोनीपत	270	352	232
21	यमुनानगर	224	237	301
कुल		**6024**	**6575**	**6477**

- 2006 से जून, 2019 तक एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सैंटर (एआरटी सेंटर) और फैसीलिटी इनटीग्रेटेड एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर (एफआइएआरटी सैंटर) में पंजीकृत एचआईवी पॉजिटिव मामलों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार हैः

क0सं0	जिले का नाम	पंजीकृत मरीजों की संख्या
1	अम्बाला	212
2	भिवानी	2519
3	चरखी दादरी	80
4	फरीदाबाद	78
5	फतेहाबाद	950
6	गुरूग्राम	386
7	हिसार	3134
8	झज्जर	2116
9	जीन्द	3657
10	कैथल	1748

11	करनाल	1591
12	कुरूक्षेत्र	89
13	नारनौल	580
14	मेवात	311
15	पलवल	171
16	पंचकूला	2
17	पानीपत	2104
18	रेवाड़ी	704
19	रोहतक	2992
20	सिरसा	1223
21	सोनीपत	3004
22	यमुनानगर	23
कुल		**27674**

अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को प्रश्न काल के तुरन्त उपरान्त 13 वीं विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ होगा । इस संबंध में सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा–

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम–13 (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के नामों की सूची में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं :–

1. श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक ।
2. श्रीमती संतोष चौहान सारवान, विधायक।
3. श्री आनन्द सिंह दांगी, विधायक ।
4. श्री ओम प्रकाश बरवा, विधायक ।

(ii) सदस्यों के त्याग पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम–58(2) के अन्तर्गत मुझे सदन को सूचित

करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने निम्नलिखित तिथियों को सदन में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है जिन्हें मैंने स्वीकार कर लिया है ।

1. श्री रणबीर सिंह गंगवा	20 मार्च, 2019
2. श्री केहर सिंह	24 मार्च, 2019
3. श्री नायब सिंह	03 जून, 2019
4. श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया	06 जून, 2019
5. श्री परमेन्द्र सिंह ढुल	25 जून, 2019
6. श्री जाकिर हुसैन	03 जुलाई, 2019
7. श्री रामचन्द कम्बोज	23 जुलाई, 2019
8. प्रो. रविन्द्र बलियाला	01 अगस्त, 2019
9. श्री जयतीर्थ	01 अगस्त, 2019

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने विपक्ष के विधायकों को रिश्वत देकर इस्तीफा दिलवाया है, इस बात की जांच होनी बहुत जरूरी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दलाल जी, सचिव महोदय को सदन मे कुछ घोषणायें करनी हैं, उनके बाद आप अपनी बात रख लेना। अभी आप अपनी सीट पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिह दलालः स्पीकर सर, ठीक है आपके आश्वासन पर मैं अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ।

(ख) सचिव महोदय द्वारा घोषणा

* राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बंधी

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सचिव महोदय घोषणा करेंगे।

श्री सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर *राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँः–

दिसम्बर सत्र, 2018

राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2018

फरवरी सत्र, 2019

1. हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (संशोधन) विधेयक, 2019
2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019
3. हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2019
4. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019
5. हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अंगीकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
6. पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019
7. हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2019
8. हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक, 2019
9. पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019
10. पंजाब आबकारी (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019
11. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019
12. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2019
13. हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
14. हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक, 2019
15. हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) विधेयक, 2019
16. हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) संशोधन विधेयक, 2019
17. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2019

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब मैं सदन के वर्तमान सत्र के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय की गई समय सारणी सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

समिति की बैठक शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

"समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 को 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

सोमवार, 5 अगस्त, 2019 को विधान सभा की बैठक 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6.30 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

मंगलवार, 6 अगस्त, 2019 को विधान सभा की बैठक 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 2, 5 तथा 6 अगस्त, 2019 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 (2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात)	1. शोक प्रस्ताव। 2. प्रश्न काल। 3. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र। 5. विशेषाधिकार समिति के तीन प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।
शनिवार, 3 अगस्त, 2019	छुट्टी।
रविवार, 4 अगस्त, 2019	छुट्टी।
सोमवार, 5 अगस्त, 2019 (2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2019–20 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। 3. वर्ष 2019–20 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान।
मंगलवार, 6 अगस्त, 2019 (10.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 4. रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों। 5. वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमान

(प्रथम किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक।

6. विधान कार्य।

7. कोई अन्य कार्य।''

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

.....

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगें/पुनः रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:–

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्या 1) ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर पुनः रखता हूँ:–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 26/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/एस.टी–2, दिनांकित 12 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/एस.टी–2, दिनांकित 12 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/एस.टी–2, दिनांकित 17 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/एस.टी–2, दिनांकित 17 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/एस.टी–2 दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65./एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 78/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 80/एस.टी–2, दिनांकित 5 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 81/एस.टी–2, दिनांकित 6 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 82/एस.टी–2, दिनांकित 19 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 93/एस.टी–2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/एस.टी–2, दिनांकित 28 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96/एस.टी–2, दिनांकित 6 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 98/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 102/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 104/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 105/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 106/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 107/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 108/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 109/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 110/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 111/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 112/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 113/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 114/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 115/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 116/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 117/एस.टी–2, दिनांकित 24 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 118/एस.टी–2 दिनांकित 27 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 119/एस.टी–2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 120/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 121/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 122/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 123/एस.टी–2, दिनांकित 14

नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 124/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 125/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 126/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 127/एस.टी–2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 128/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 129/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 130/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 131/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 132/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 135/एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 1/एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 2/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 3/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 4/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 5/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 6/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 7/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 8/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 9/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/एस.टी–2, दिनांकित 11 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 26/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/एस.टी–2, दिनांकित 25

जनवरी, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/एस.टी–2, दिनांकित 2 फरवरी, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/एस.टी–2, दिनांकित 15 मार्च, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/एस.टी–2, दिनांकित 15 मार्च, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/एस.टी–2, दिनांकित 6 अप्रैल, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/एस.टी–2, दिनांकित 19 अप्रैल, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/एस.टी–2, दिनांकित 19 अप्रैल, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 मई, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी–2, दिनांकित 25 मई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 मई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 मई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15

जून, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 जून, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी–2, दिनांकित 19 जून, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी–2, 29 जून, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी–2, 6 जुलाई, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी–2 दिनांकित 27 जुलाई, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी–2, 27 जुलाई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 66/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 अगस्त, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 अगस्त, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अगस्त, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 78/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के

अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 79/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 80/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 81/जी.एस.टी –2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 82/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96/जी.एस.टी–2, दिनांकित 25 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97/जी.एस.टी–2, दिनांकित 30 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 नवम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 नवम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 104/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 105/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 106/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 107/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 108/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 109/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना/शुद्धिपत्र संख्या 04/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 फरवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 फरवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 फरवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 फरवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना/शुद्धिपत्र संख्या 25/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 फरवरी, 2019 ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र भी सदन के पटल पर रखता हूँ:–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 अप्रैल, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 मई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 मई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी–2, दिनांकित 3 जून, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 जून, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 जून, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 66/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2019 ।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./40/2018/द्वितीय संशोधन/2019 दिनांकित 14 जून, 2019 ।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./42/2019, दिनांकित 29 मार्च, 2019 ।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./47/2019, दिनांकित 27 मई, 2019 ।

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या पी. एफ–69(एल)/2019/17552, दिनांकित 24 जुलाई, 2019 ।

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016–2017 के लिए आवासन बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला के लेखों का वार्षिक विवरण ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 21वीं वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016–2017 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017–2018 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट ।

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 कि धारा 19 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट ।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) तथा 105 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड पंचकूला की 44वीं वार्षिक रिपोर्ट ।

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्षः दलाल जी, अब आप अपनी बात रखिए।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने विभिन्न विषयों पर काम रोको प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण सूचनायें दी हैं। मेरा पहला काम रोको प्रस्ताव हरियाणा प्रदेश में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के विषय में है। अध्यक्ष महोदय, आज केवल मात्र फरीदाबाद या पलवल जिले में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। लोगों से फिरोती मांगी जा रही है और इस कार्य में पुलिस मध्यस्थता का काम कर रही है। इसका साक्षात उदाहरण यह है कि अभी पिछले दिनों फरीदाबाद में दिन–दहाड़े एक कांग्रेसी नेता को गोलियों से भून दिया गया। मुझे इस काम रोको प्रस्ताव का फेट बताया जाये।

श्री अध्यक्षः दलाल जी, आपके द्वारा दिया गया यह काम रोको प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा काम रोको प्रस्ताव अनुसूचित जाति तथा अन्य गरीब छात्रों को नियम 134–ए के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के विषय पर दिया था। मुझे इसका भी फेट बताया जाये।

श्री अध्यक्षः दलाल जी, मैंने इसको सरकार के पास 48 घंटे में टिप्पणी देने के लिए भेजा है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, ये दोनों काम रोको प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हैं इसलिए आप इनको एडमिट कर लें।

श्री अध्यक्षः दलाल जी, मैंने पहले ही आपको, आपके द्वारा विभिन्न विषयों पर दिए गए काम रोको प्रस्तावों का फेट बता दिया है। अतः आप प्लीज बैठिए।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जिन विषयों पर दलाल साहब द्वारा एडजर्नमैंट मोशंज दिए गए हैं वह वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, अतः आप इन एडजर्नमैंट मोशंज को स्वीकार करते हुए, इन पर चर्चा करवा लें।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप प्लीज बैठिए।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम घोटाले से संबंधित भी है, इसमें संबंधित मंत्री जी को

इस्तीफा दे देना चाहिए था और इस घोटाले की जांच किसी इन्वैस्टीगेटिंग एजेंसी से करवायी जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, इस संबंध में सरकार जांच करवा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 'परिवहन विभाग में हुए बड़े घोटाले बारे' मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है, उसका क्या फेट है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, क्या आपने मेरा इस विषय से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, सरकार ने इस मैटर की इन्क्वॉयरी के आदेश दे रखे हैं, इसलिए इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम घोटाले की जांच किसी इन्वैस्टीगेटिंग एजेंसी से जरूर होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, मैंने पहले भी कहा है कि सरकार ने इस मैटर की इन्क्वॉयरी के आदेश दे रखे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से विभिन्न विषयों पर नौ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं, उन प्रस्तावों का स्टेट्स क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, आपकी पार्टी के द्वारा दिए गए सभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नामंजूर कर दिए गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे केवल दो ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसके लिए मैं कम ही समय लूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से 'परिवहन विभाग में हुए बड़े घोटाले बारे' और दूसरे कई विषयें पर बड़े महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

दिए हुए हैं, इसलिए पहले उन्हें स्वीकार करते हुए आप सदन में चर्चा करवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठ जाइये। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को बोलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के द्वारा बड़े महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन किरण जी, आपकी ही पार्टी के तीन सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं और आपस में ही फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मैम्बर पहले बोले। (शोर एवं व्यवधान) मैंने श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को बोलने के लिए अलाउ किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला लम्बे समय के बाद विधान सभा के सत्र में आते हैं, इसलिए मैंने पहले उन्हें बोलने के लिए अलाउ किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम में घोटाले से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, उसका क्या हुआ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, 'परिवहन विभाग में हुए बड़े घोटाले बारे' आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के परिवहन विभाग में प्राइवेट बसिज की किलोमीटर स्कीम के टैंडर में 1600 करोड़ रूपये का घोटाला किया गया है । हमने इस विषय पर आपको कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया है अतः आप इस पर चर्चा करवाइये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आपने जिस विषय पर कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया है उस विषय पर सरकार ने पहले ही जांच शुरू करवा दी है । अतः अब उस कॉलिंग अटैंशन मोशन पर डिस्कशन करवाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग की इस किलोमीटर स्कीम की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सराहना की थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, अब आप बैठ जाइये क्योंकि आपके द्वारा दिए हुए कॉलिंग अटैंशन मोशन पर सरकार ने पहले ही जांच शुरू करवा दी है ।

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला माननीय सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी सीट पर जाकर बैठ गये हैं । मुझे लगता है कि अब इनका गठबंधन हो गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से अब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी और आई.एन.एल.डी. का गठबंधन हो गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला को दोनों पार्टियों के गठबंधन करने के लिए अपने पास बुलाकर अपनी सीट पर बिठाया हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, किलोमीटर स्कीम के टैण्डर द्वारा हरियाणा रोडवेज डिपार्टमैंट में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है । इस विषय पर मैंने कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है । आप मुझे बताइये कि आपने मेरे द्वारा दिए हुए इस कॉलिंग अटैंशन मोशन पर क्या निर्णय लिया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, मैने आपके दिए हुए कॉलिंग अटैंशन मोशन को नामंजूर कर दिया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने विभिन्न विषयों पर कुल 9 कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए हैं ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपके द्वारा दिए हुए कॉलिंग अटैंशन मोशंज के विषय लगभग एक–जैसे हैं और उन सबको नामंजूर कर दिया गया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको ओवरलोडिंग के विषय पर भी कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था । आपने उसे नामंजूर क्यों कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपने जिस विषय पर सी.ए. दिया है उस विषय पर सरकार ने पहले से ही इंक्वायरी शुरू करवाई हुई है । अतः अब उस सी.ए. पर डिस्कशन करवाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्रीमती किरण चौधरी : मैंने आपको कुल 9 कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए हैं । आपने उनमें से कितने कॉलिंग अटैंशन मोशंज को मंजूर किया है ?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैंने आपके द्वारा दिए हुए सभी कॉलिंग अटैंशन मोशंज को नामंजूर कर दिया है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको प्राइवेट बसिज की किलोमीटर स्कीम के टैण्डर में घोटाले पर जो कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है आप उस पर डिस्कशन करवाइये । अगर आप हमारे कॉलिंग अटैंशन मोशन पर डिस्कशन नहीं करवाते तो हम सदन से वॉक आउट करेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आप प्लीज बैठिये ।

वाक आउट

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको एडजर्नमैंट मोशंज और अनेक कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए हैं लेकिन आप किसी को भी मंजूर नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के परिवहन विभाग में प्राइवेट बसिज की किलोमीटर स्कीम के टैंडर में हुए 1600 करोड़ रूपये के घोटाले पर चर्चा करके हम चाहते हैं कि इस घोटाले की सी.बी.आई. से इंक्वायरी होनी चाहिए । आप सदन में इन विषयों पर चर्चा नहीं होने दे रहे हो । अगर आप हमारे द्वारा दिए गए कॉलिंग अटैंशन मोशंज विशेष रूप से परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम के टैंडर में हुए घोटाले सारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को एडमिट नहीं करते और उस पर सदन में चर्चा नहीं करवाते तो हम सदन से वॉक आउट करते हैं ।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य उनके द्वारा दिए गए कॉलिंग अटैंशन मोशंज/एडजर्नमैंट मोशंज विशेष रूप से परिवहन विभाग में प्राइवेट बसिज की किलोमीटर स्कीम के टैंडर में हुए घोटाले के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर न किये जाने के विरोध में सदन से वॉक आउट कर गये ।)

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी से कहना चाहूंगा –

आप भी पुरानी यादों के उजाले आंखों में महफूज़ रखना,
दूर तक रात ही रात होगी ।
मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी,
फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी ।

सन् 1987 में माननीय सदस्य कादियान साहब और हम इकट्ठे सरकार में थे । इनके साथ–साथ चौधरी देवीलाल जी भी हमारे साथ थे । माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला हमारी बात को धीरे–धीरे मान भी रहे हैं । स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी को बताना चाहूंगा कि यह श्रावण मास का महीना चल रहा है और यह भोले शंकर पर कावड़ चढ़ाने का महीना है। यह गंगा के अभिनंदन का महीना है और बी.जे.पी. हिन्दुस्तान की राजनीतिक गंगा है। पिछले सत्र के दौरान विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों पर इसका असर हो गया था और कुछ पर होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी का बड़ा हूं और उनको मेरी सलाह है कि

उनको कांग्रेस पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सदन में भी उनको कहा था कि वे चौधरी देवी लाल जी का डी.एन.ए. हैं और उनकी विरासत हैं। चौधरी देवी लाल जी ने मुस्लिम लीग से समझौता किया परन्तु कांग्रेस पार्टी से कभी समझौता नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से अभी माननीय मंत्री जी ने जो कविता सुनायी है उसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि आगे आने वाले विधान सभा चुनावों के बाद बी.जे.पी. के सदस्यों की कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मुलाकात तो होगी लेकिन उस समय हमारी पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 का जो लोक सभा का चुनाव हुआ था वह सपनों का चुनाव था। एक आदमी गांव में आटा मांगकर जीवन यापन करता था और कुछ समय बाद आटे से उसकी मूण भर गयी। उसने आटे की मूण को छप्पर में टांग दिया और उसके नीचे चारपाई डालकर सो गया। वह रात को सपना देखने लगा कि मेरे पास बहुत आटा है और इसको बेचकर बकरी खरीदूंगा और फिर मेरे पास बकरियों का रेवड़ हो जाएगा। फिर बकरियों के रेवड़ को बेचकर गाय खरीदूंगा और गायों की लंगारी हो जाएगी। इसके बाद गायों को बेच दूंगा जिससे मेरे पास बहुत धन हो जाएगा और फिर एक राजा अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करवा देगा और शादी करने के बाद उस लड़की को एक लड़का होगा और कुछ समय बाद वह लड़का चलने लगेगा। जब वह लड़का रोने लगेगा तो फिर मैं अपनी पत्नी को कहूंगा कि इस लड़के को उठाती क्यों नहीं ? इसके बाद मैं गुस्से में अपनी पत्नी को लात मारूंगा परन्तु उसने सपने में आटे की मूण को लात मार दी, जिससे आटे की मूण टूट गयी और आटा बिखर गया। स्पीकर सर, अभी माननीय सदस्य श्री आनंद सिंह दांगी जी बहुत ही सही बात कह रहे थे कि अब इनका इधर–उधर जाने का चक्कर चल पड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी माननीय सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब के साथ बैठे हुए थे, अब इनका इधर–उधर जाने का चक्कर चल पड़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, मैं श्री अभय सिंह जी को अपनी बात रखने के लिए कह चुका हूं। प्लीज, आप बैठ जाएं। श्री अभय सिंह जी अपनी बात रखेंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है वह कुछ माननीय सदस्यों के समझ में आयी है और कुछ सदस्यों को नहीं आयी है।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, मंत्री जी ने तो आपकी बात का ही जवाब दिया है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, अभी माननीय मंत्री जी सपने की बात कह रहे थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र में सपने का कोई स्थान नहीं है यानी सपने से कोई सरकार नहीं बना सकता। लोकतंत्र में जनता ही अपने वोट से उम्मीदवारों की हार–जीत का फैसला करती है और जनता ही सुप्रीम है। जनता ही इस बात का फैसला करेगी कि कौन कहां पर बैठेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जीन्द उप चुनाव में इनकी हार हुई थी और मेयर के चुनाव में भी इनकी हार हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्यों के बोलने से इनके अंहकार की सच्चाई सामने आती है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। कोई भी माननीय सदस्य व्यक्तिगत टिप्पणी न करे।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब जो भी कादियान जी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, ****

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, ****

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों के अहंकार के कारण ही इनकी पार्टी की हालत खराब हो रही है। अब ये और गर्त में जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, ****

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने पहले भी विधान सभा के सैशन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का चैंलेज किया था। अब इनका भ्रम मिट गया है क्योंकि जीन्द के बाई इलैक्शन में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार इलैक्शन हार गया और मेयर का इलैक्शन भी ये हार गये। हरियाणा प्रदेश की लोक सभा की 10 सीटों पर भी भारतीय जतना पार्टी के उम्मीदवार ही जीते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री कृष्ण कुमार बेदी जी से कहना चाहूंगी कि इनको इतना ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, ...(विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदी: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य श्री कृष्ण

.....

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

कुमार बेदी जी को कहना चाहूंगा कि ये कृपया मुझे अपनी बात कहने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बेदी जी, आप कृपया बैठ जाएं। अभय सिंह जी, कुछ कहना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, भाजपा के माननीय सदस्यों को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों को तत्काल स्कीम के तहत दिए जाने वाले ट्यूबवैल कनैक्शंज पर एक ध्यानाकर्षण सूचना दी थी। तत्काल स्कीम के तहत किसानों से पैसे तो जमा करवा लिए गए लेकिन उनको ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज जारी नहीं किए गए। सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात करती है। यदि तत्काल स्कीम के तहत किसानों को ट्यूबवैल कनैक्शंज जारी हो जाते हैं तो इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। मेरी ध्यानाकर्षण सूचना किसानों के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर दी गई है। मुझे इसका फेट बताया जाये?

श्री अध्यक्षः दलाल जी, आपकी ध्यानाकर्षण सूचना को सरकार के पास कमेंट्स के लिए भेजा गया था जिसके बारे में अब कमेंट्स आ गए हैं और इसका जवाब आपको दे दिया जायेगा।

.....

विभिन्न मामले उठाना

श्री करण सिंह दलालः सर, मैंने एक अन्य ध्यानाकर्षण सूचना हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर के खिलाफ बहुत ही संगीन दफाओं अर्थात दफा 511, 506, 483 तथा 429 में दर्ज की गई एफ.आई.आर. न. 517 के विषय पर दी है। अध्यक्ष महोदय, इन सभी दफाओं के अंतर्गत मामले की तफ्तीश बाकी है लेकिन यदि मंत्री जी अपने पद पर बने रहेंगे तो मामले की सही तफ्तीश कैसे हो सकेगी इसलिए मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मनीष ग्रोवर जी को या तो मंत्री पद से स्वयं त्याग पत्र दे देना चाहिए या फिर सरकार द्वारा उनको बर्खास्त किया जाये तथा मुझे मेरी इस ध्यानाकर्षण सूचना का फेट बताया जाये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दलाल जी, आप सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दीजिए। जहां तक आपने सरकार के एक मंत्री के खिलाफ ध्यानाकर्षण सूचना का फेट पूछा

है तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई ध्यानाकर्षण सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, पिछले 40 दिनों से धरौदी गांव में लगभग 11 गांवों के हजारों किसान धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि वहां पर न तो पीने का पानी है, न ही तालाबों में पशुओं के लिए पीने का पानी है और न ही सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो हजारों किसान पानी के लिए लगभग पौने दो महीने से धरौदी गांव में धरने पर बैठे हुए हैं क्या सरकार धरौदी माईनर को बरवाला लिंक कैनाल से जोड़ कर उन किसानों को पानी देने का काम करेगी? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों राजौंद ब्लॉक के किठाना गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और कहा था कि 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' में किसानों के साथ ज्यादती नहीं होगी। लेकिन एक आर.टी.आई. के हवाले से पता चला है कि राजौंद ब्लॉक के किठाना गांव के 10 किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद होने पर भी 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत एक नया पैसा भी किसानों को मुआवजे के रूप में नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की गलत पॉलिसी है क्योंकि 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का प्रीमियम तो किसानों के बैंक अकाउण्ट्स से काट लिया जाता है लेकिन उन किसानों की प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल का, फसल बीमा कंपनियां द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जो किसान मुआवजे के लिए धरने पर बैठे हुए हैं क्या माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी सत्र समाप्त होते ही उन पीड़ित किसानों से मिलेंगे और उन्हें उनका मुआवजा दिलवायेंगे? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का लगातार विरोध करता आ रहा हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, भाई जय प्रकाश जी ने जो धरौदी माईनर का मुद्दा सदन में उठाया है यह बहुत ही गंभीर मामला है। वहां पर कम से कम 11 गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है क्योंकि मैं वहां स्वयं जाकर देखकर आया हूँ, इसलिए सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा गंभीर मुद्दा यह है कि कोटपुतली से लेकर ईस्माइलाबाद (कुरूक्षेत्र) तक राष्ट्रीय राजमार्ग 152–डी के निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई जमीन की उचित मुआवजे की मांग को लेकर हजारों किसान कैथल, करनाल ओर चरखी दादरी आदि लगभग 20

अलग–अलग जगहों पर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को गंभीरता के साथ इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर किसानों की बातें सुननी चाहिए और किसानों के कंपनसेशन का निपटारा जल्दी से जल्दी करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप अपनी बात शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कैसे शुरू करूं। मैं जब भी अपनी बात बोलना शुरू करता हूं तो भाजपा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगते हैं।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप अपनी बात शुरू करें, अब कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं होगा।

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर सर, मैंने आपको एक राज्य के ड्रग्स सेवन की गिरफ्त में आने से अपराध में वृद्धि के साथ सामाजिक चुनौतियों के विषय बारे और दूसरा एस.वाई.एल. नहर निर्माण, दादुपूर नलवी नहर, मेवात फीडर कैनाल के विषय बारे दो एडजॅर्नमैंट मोशन दिये थे। इनमें से एक जो एस.वाई.एल. नहर से संबंधित मुद्दा है, वह आज का नहीं, बल्कि वह बहुत पहले से ही चला आ रहा है और जिसको लेकर लगातार हाउस में चर्चा भी होती रही है। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने भी एस.वाई.एल. नहर को लेकर के हमारे पक्ष में एक फैसला किया था और उस फैसले में साफ लिखा हुआ था कि (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आपने जो एस.वाई.एल. नहर निर्माण, दादुपूर नलवी नहर, मेवात फीडर कैनाल के विषय बारे जो एडजर्नमैंट मोशन दिया था, उसे मैंने रिजैक्ट कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर कई दफा चर्चा हो चुकी हैं। राज्य के ड्रग्स सेवन की गिरफ्त में आने से अपराध में वृद्धि के साथ सामाजिक चुनौतियों के विषय बारे जो एडजर्नमैंट मोशन आपने दिया था, उसे दिनांक 05.08.2019 को डिस्कशन के लिए एडमिट कर लिया है।

श्री अभय सिंह चौटालाः ठीक है, आपने अपने अधिकार का प्रयोग करके मेरे एस. वाई.एल. कैनाल वाले एडजर्नमैंट मोशन को रिजैक्ट कर दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल यही कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जल संरक्षण यात्रा शुरू करेंगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ और ही फैसले लिए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी की वजह से सरकार की तरफ से हिदायत दी जाती है कि अब की बार जो कोई भी किसान जमीन ठेके पर लेकर अगर धान की फसल की बुआई करेगा तो सरकार के द्वारा

उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस पर जुर्माना किया जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसान को अब धान की फसल बोने के बजाए कोई दूसरी फसल बोनी चाहिए। सरकार की तरफ से मक्के का बीज मुफ्त में देकर किसानों को कहा गया है कि आप मक्का लगाओ। एक तरफ तो पानी की किल्लत और कमी हरियाणा प्रदेश में है दूसरी तरफ दो अच्छी स्कीम्ज को इस सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब दादूपुर नलवी नहर के निर्माण का फैसला लिया गया था। इस नहर से कुरुक्षेत्र और अम्बाला जिले के किसानों के खेतों की जमीन में पानी रिचार्ज होना था और वहां पर जो जमीन का वाटर लैवल नीचे गिरता जा रहा है, वह ऊपर आ जाये, इसलिए वह स्कीम शुरू की गई थी। यह स्कीम चौटाला साहब ने शुरू की थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में उसके ऊपर 350 करोड़ रुपया खर्च करके उस स्कीम को वायबल बनाने के लिए कार्य किया था ताकि वहां के किसानों को उसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री जी, आप पानी के रिचार्ज की बात तो करते हो, पानी की कमी की बात तो करते हो, लेकिन आपने यह कहकर उस स्कीम को बंद कर दिया कि वहां के किसान को हाई कोर्ट ने यह कहा था कि किसानों को मुआवजे के रूप में जो पैसा मिला है, वह कम है इसलिए इन्हांसमैंट का ऑर्डर करके किसानों का मुआवजा बढ़ाया गया है।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, इस विषय के ऊपर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात सदन के सामने इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि वे जल संरक्षण के लिए यात्रा निकालेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पानी की जो कमी है, क्या उसके लिए इन्होंने जल संरक्षण यात्रा निकालने की बात कही है या फिर इस बार हरियाणा प्रदेश में बारिश कम हुई है, उसके लिए जल संरक्षण यात्रा निकालने की बात कही है ? अभी हमारे माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी ने नरवाना विधान सभा क्षेत्र के धनौरी गांव का जिक्र किया था। मैं भी इस सदन को बताना चाहूंगा कि नरवाना विधान सभा क्षेत्र के 11 गांव के किसान धरने पर बैठे हुये हैं, मैं खुद वहां पर जाकर आया हूं। उन गांवों के लोग इसलिए धरने पर बैठे हुये हैं, क्योंकि उनके पास पीने के लिए, मवेशियों के लिए और खेती के लिए पानी नहीं है और उसके लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। वर्तमान सरकार के मंत्री जी वहां पर जाकर केवल यह

कहकर वापस आ जाते हैं कि किसानों ने वहां पर 100 एकड़ जमीन में धान की फसल बो रखी है, इसलिए पानी की कमी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां का किसान किसी न किसी तरीके से किसी नहर से पाइप लाइन लाकर या फिर किसी दूसरे माध्यम से किसी दूसरे किसान के खेत से पानी लेकर अपने खेत में पानी पहुंचा रहा है और इस तरह से किसानों का इन कार्यों के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, वे बेचारे किसान पानी के लिए धरने पर बैठते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन किसानों को पानी देने के बजाय उनको लगातार पिछले 40 या 50 दिनों से धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी इस विषय पर बोल रहे थे, उस वक्त सरकार के कुछ माननीय सदस्य उनको यह कहकर टोक रहे थे कि आप अभी बैठ जायें, हम शाम तक उन गांवों में जाकर इस समस्या का समाधान कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हुये हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के सदस्यों ने यह फैसला किया था कि अगर सरकार 6 अगस्त, 2019 से पहले–पहले उन गांवों में पानी की समस्या का समाधान नहीं करती तो हमारी पार्टी के सारे माननीय सदस्य वहां पर जाकर धरने पर बैठ जायेंगे और हम तब तक धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक उन किसानों को अपना हक नहीं मिल जाता। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, दादूपुर नलवी नहर बनने से हरियाणा प्रदेश के किसानों की लगभग 5 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलेगा। इस नहर को इसलिए डी–नोटिफाई कर दिया गया क्योंकि यह सरकार किसान विरोधी है। माननीय उच्च न्यायालय की तरफ जो इनहांसमैंट का पैसा बढ़ाया गया था, सरकार ने वह बढ़ा हुए पैसा देने की बजाए दादूपुर नलवी नहर के प्रोजैक्ट को ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश के किसानों की 5 लाख एकड़ जमीन पर बुआई नहीं हो सकी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहता हूं कि दादूपुर नलवी नहर के प्रोजैक्ट के कारण जहां पानी का स्तर बढ़ना चाहिए था वहीं आज पानी का स्तर गिरता जा रहा है और गिरते हुए पानी के स्तर को देखकर सरकार यह कह रही है कि हमें हरियाणा प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए जल संरक्षण यात्राएं निकालनी पड़ेंगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एस.वाई.एल. नहर को हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्णय करवा कर बनवा लेती तो आज हरियाणा प्रदेश के किसानों को लाभ मिलता। इस मामले पर

माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगभग पौने तीन साल से लगातार बहस चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. नहर से संबंधित मामले में सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं और किन–किन उच्च अधिकारियों से मिले हैं? इसके अतिरिक्त यह भी बताने का कष्ट करें कि हरियाणा प्रदेश में एस.वाई.एल. नहर बनकर कब तक तैयार हो जायेगी? हरियाणा प्रदेश के किसानों को कब तक इस नहर का पानी मिलने लगेगा और सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सरकारों को यह आदेश दिया है कि अगर 3 सितम्बर 2019 तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के हक में फैसला आ जाये तो क्या सरकार अपनी तरफ से प्रयास करेगी कि एस.वाई.एल. नहर का पानी हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलने लगे? अध्यक्ष महोदय, हमने हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी को लेकर काम रोको प्रस्ताव इसीलिए तो दिया है कि इस पर भी सदन में खुलकर चर्चा की जा सके। सरकार आज उल्टा हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी की वजह से जल संरक्षण यात्राएं निकालने की बात कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार हमारे हिस्से के पानी को तो खत्म करने जा ही रही है और यहां तक कि किसानों की धान की बिजाई पर भी रोक लगा दी गई है ताकि किसानों के सामने इस तरह की अनेक समस्याएं खड़ी की जा सकें। जहां तक मक्के की खरीद की बात है तो किसानों से मक्का खरीदना सरकार के बस की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शाहबाद में सूरजमुखी की एक छोटी–मोटी पॉकेट है, वहां किसान खेती करते हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने यहां के किसानों की सूरजमुखी की फसल भी नहीं खरीदी। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 80–80 साल के बुजुर्ग किसानों को जब अपनी बातों को मनवाने के लिए पानी की टंकियों पर चढ़ने को मजबूर होना पड़ा है तब जाकर हरियाणा सरकार को लगने लगा कि कहीं हमारी पोल न खुल जाये और इस डर से इन्होंने थोड़ी बहुत सूरजमुखी खरीदने का ढोंग किया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मक्के की उपज एक एकड़ में लगभग 15–20 हजार रुपये की होती है और धान की लगभग 70 हजार रुपये की होती है। इस प्रकार किसान को 50 हजार रुपये का जो नुकसान हुआ होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार आदेश तो इस तरह से पारित कर देती है कि भविष्य

में सारी चीजों की जिम्मेवारी इन्हीं की ही बनेगी। देखा जाये तो आने वाले समय में दूसरी तरफ इसका किसानों पर कितना असर पड़ेगा और किसानों के सामने किस प्रकार की दिक्कतें आयेंगी? उसके बारे में सरकार ने किसी भी प्रतिनिधि को अवगत नहीं कराया कि भविष्य में इन कमियों को कैसे पूरा किया जा सकेगा? अध्यक्ष महोदय, हमने आपको काम रोको प्रस्ताव दिया था ताकि इस पर खुलकर बहस हो सके और आपने हमारे इस प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दिया और मान लिया कि यह जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। क्या हरियाणा प्रदेश के लोगों को पानी की जरूरत नहीं है?

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, इस विषय पर पहले भी सदन में काफी बार डिस्कशन हो चुकी है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस विषय पर अधिक से अधिक डिस्कशन होनी चाहिए या नहीं? अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी मान लिया है और सरकार स्वयं भी इस बात को मानती है कि हरियाणा प्रदेश में पानी की किल्लत है और इसके लिए हमें यात्राएं निकालनी भी पड़ेंगी ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को पानी के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इस बात को जब सरकार स्वयं मान चुकी है तो क्या इस विषय पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण रूप से जवाब आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार को पानी की किल्लत और दिक्कत को लेकर के एडर्जनमैंट मोशन दिया है। सदन में इस वक्त जीरो ऑवर चल रहा है, इस पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज 30–32 गांव ऐसे हैं जो राजस्थान के बॉर्डर को लगते है। इन सभी गांवों में पीने के पानी की किल्लत है। मेरे से पहले भी इस विषय को लेकर सदन के माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया था। गांव शक्कर मंदोरी एक ऐसा गांव है जिसमें पिछले 4 सालों में सबसे अधिक बारिश हुई है, आज जिसके कारण इनकी खेती वाली जमीन का वाटर लैवल काफी बढ़ गया है इसलिए यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में मुझे कैप्टन अभिमन्यु जी बता रहे थे कि मैं इस इलाके में गया था क्योंकि इनकी ससुराल भी वहीं है। इन्होंने मुझे बताया कि पहले इस इलाके में रेत के टिब्बे हुआ करते थे। इस प्रकार से वहां चंद गांव ऐसे हैं जिनमें आज धान की खेती होती है। वहां पर धान की खेती इसी कारण से हो रही है क्योंकि उन गांवों में

भूमिगत जल का स्तर ऊपर आ गया है। आज वहां कुछ गांवों में सेम की समस्या भी है। उनमें शक्कर मंदोरी गांव ऐसा है जो आज की तारीख में भी सारे का सारा डूबा हुआ है। आज तक एक भी प्रशासनिक अधिकारी उस गांव की सुध लेने नहीं गया है। गांव में पानी खड़ा होने की वजह से लोगों के मकान गिर रहे हैं। उनकी इस समस्या का क्या सॉल्यूशन हो इसके लिए सरकार का एक भी अधिकारी अभी तक वहां पर नहीं गया है। किसी भी अधिकारी ने वहां पर यह नहीं बताया है कि उस पानी को कैसे निकाला जायेगा? जो गरीब परिवारों के घर गिर गये हैं उनको सरकार की तरफ से किस प्रकार से मदद दी जायेगी? इसी प्रकार से आज की तारीख में प्रदेश में जो नशे का मामला है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हरियाणा प्रदेश में नशे की समस्या के बारे में आपने जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया है उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और दिनांक 05.08.2019 को उस पर हाउस में चर्चा करवाई जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, इसके अलावा भी हमारी पार्टी ने आठ कालिंग अटैंशन मोशन आपको दिये हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उनमें से भी आपके द्वारा कोई स्वीकार किया गया है? क्या हमारा कोई कालिंग अटैंशन मोशन आज के लिए भी स्वीकार किया गया है यह भी हमें बताया जाये। हमने सरकार को धान के बजाये मक्का व बाजरा उगाने सम्बन्धी कालिंग अटैंशन मोशन भी दिया हुआ है। इसमें किसान का बहुत बड़ा नुक्सान होने जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसान के इस नुक्सान की कौन भरपाई करेगा? हमारी पार्टी इस मामले में हाउस में चर्चा करवाना चाहती है। इसी प्रकार से अमेठी में एम्स की स्थापना को लेकर निरंतर राजनीति हो रही है, हमारी पार्टी ने उसके ऊपर भी विधान सभा में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया है। इसी प्रकार से प्रदेश में जब सफाई कर्मचारी सीवरेज के अंदर उतरते हैं तो उनमें से अनेक सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। इस सम्बन्ध में भी हमारी पार्टी ने एक कालिंग अटैंशन मोशन विधान सभा में दिया था। ऐसे ही प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर भी हमारी पार्टी ने एक कालिंग अटैंशन मोशन विधान सभा में दिया है। हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। मेरे पास इस बारे में आंकड़े हैं जिनके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत ही बदतर हालत है। स्पीकर सर, प्रदेश की कानून

व्यवस्था के बारे में मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और पूरे सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर हमारी पार्टी द्वारा दिये गये कालिंग अटैंशन मोशन के ऊपर चर्चा करवाना जरूरी नहीं समझा है। मैं आपको जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक 6 महीने के इस कार्यकाल का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश में जनवरी, 2019 में हत्या के मामले 77 हुए, फरवरी, 2019 में ये बढ़कर 84 हो गये, मार्च, 2019 में एक कम होकर इनकी संख्या 83 हो गई, अप्रैल, 2019 में बढ़कर इनकी संख्या 91 हो गई, मई, 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 105 हो गई और जून, 2019 में हरियाणा प्रदेश में और भी ज्यादा कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा और हत्या का आंकड़ा 111 की संख्या को भी पार कर गया। इसी प्रकार इसके बाद बलात्कार और हत्या करने के जो प्रयास हैं उनमें भी लगातर बढ़ोतरी हुई है। ये जनवरी, 2019 में 66 थे, फरवरी, 2019 में 58 थे, मार्च, 2019 में 75 थे, अप्रैल, 2019 में 66 थे, मई, 2019 में 80 थे और जून, 2019 में इनकी संख्या 69 हो गई। ये सभी बहुत ही गम्भीर विषय हैं जिनके ऊपर हाउस में अवश्य ही चर्चा होनी चाहिए। इन सभी के ऊपर सरकार के स्तर पर बेहद गम्भीरतापूर्वक गौर करने की जरूरत है क्योंकि सरकार यह बात लगातार कहती है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था में और भ्रष्टाचार के मामलों में हमने रोक लगाने की कोशिश की है। जो आंकड़े मैंने अभी दिये हैं ये सभी सरकार के ही आंकड़ें हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाये। इसी प्रकार से मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बलात्कार के केस जनवरी, 2019 में 102 थे, फरवरी, 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 111 हो गई, मार्च, 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 116 हो गई, अप्रैल, 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 139 हो गई थी, मई, 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 143 हो गई और इसके बाद जून, 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 170 का आंकड़ा पार कर गई है। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में बलात्कार की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका प्रदेश में नशे से सम्बंधित कालिंग अटैंशन मोशन दिनांक 05.08.2019 को हाउस में चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया है और जो आपके दूसरे कालिंग अटैंशन मोंशंज हैं उन्हें सरकार के पास कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, इसी प्रकार से मैं हरियाणा प्रदेश में गैंग रेप के मामलों के बारे में बताना चाहूंगा जो कि जनवरी, 2019 में 112 थे।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपको बोलते हुए 25 मिनट का समय हो गया है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को अपनी बात कहने दें।

16:00 बजे

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो–तीन बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। आज हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बाहर बहुत सारे नौजवान धरने पर बैठे हुये हैं। वे कौन हैं, वे कम्प्यूटर टीचर्स हैं जिनको सरकार न तो नियमित ही कर रही है और न ही उनको पूरी तनख्वाह दे रही है। इसके अलावा क्लास–4 के टैम्पोरेरी इम्पलाईज हैं जो आउटसोर्सिंग से भरे हुये हैं जिनको पक्का करने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने पॉलिसी बनाई थी वह नीति भी रिवर्स हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आज विभिन्न विभागों के ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जिनको 10–12 सालों तक काम करने के बाद भी मालूम नहीं है कि वे कहां जायेंगे? अभी कल परसों यह भी खबर आई थी कि सरकार ने आउटसोर्सिंग से भर्ती करने की अनुमति दोबारा दे दी है जिसको पहले बैन कर दिया गया था। अब यह तो सरकार ही बतायेगी कि वह सही है या गलत है। इसके अलावा रोडवेज के वे कर्मचारी जो स्ट्राइक के दौरान नियुक्त किये गये थे और जिनको स्ट्राइक खत्म होते ही बाहर निकाल दिया गया था। क्या उनका यह कसूर है कि जब सरकार और कर्मचारियों का आपस में टकराव चल रहा था उस समय वे आगे आये तथा सरकार का काम नहीं रुकने दिया? आज तक जब–जब भी स्ट्राइक के दौरान कर्मचारी नियुक्त हुये हैं उसमें चाहे पहली एच.वी.पी. और बी.जे.पी. की सरकार रही हो, लोकदल और बी.जे.पी. की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो ऐसे कर्मचारियों को हमेशा समायोजित किया गया है। लेकिन इस प्रकार के हजारों बच्चे आज बारिश में बाहर धरने पर बैठे हुये हैं। क्या मुख्यमंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि आप या आपका कोई जिम्मेदार नुमाइंदा उन सारे ग्रुप्स को बुलाकर एक बार उनसे मंत्रणा करेगा तथा मंत्रणा करके यह देखेगा कि उनको किस प्रकार से समायोजित किया जा सकता है ताकि हरियाणा के नौजवान की बात सुनी जाये। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में धरौदी माइनर के बारे में आदरणीय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री जयप्रकाश जी ने तथा कुछ दूसरे साथियों ने अपनी बात रखी है। धरौदी माइनर के लिए आज जो किसान

धरने पर बैठे हुये हैं उनके पास सरकार के मंत्री जी भी जा कर आये थे। वह एक साधारण सा मुद्दा है और यदि मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी चाहें तो वह हल हो सकता है। इसका समाधान यह है कि अगर धरौदी माइनर को आप बरवाला लिंक कैनाल से जोड़ दें तो वहां के किसानों को लाभ मिल सकता है। अगर आप रिकॉर्ड निकलवायेंगे तो ऐसा पहली बार नहीं होगा बल्कि पहले भी ऐसा होता रहा है। बरवाला लिंक कैनाल और धरौदी माइनर के लेवल में थोड़ा सा अन्तर है। इसलिए कई बार बरवाला लिंक कैनाल में गेट लगा कर धरौदी माइनर में पानी घुसाया जाता था। यहां पर पीने के पानी की चर्चा हुई थी। पीने के पानी के साथ–साथ सिंचाई के लिए भी उन 10–12 गांवों को पानी मिलता रहा है। यह पहली बार नहीं होगा बल्कि पहले भी यह प्रणाली लागू हो चुकी है। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपा करके इसको दोबारा एग्जामिन करवाया जाए। सरकार ने कहा है कि हम पीने के पानी का इंतजाम करने का प्रयास करेंगे लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह कब होगा? अगर सरकार चाहे तो बरवाला लिंक कैनाल का कुछ पानी धरौदी माइनर में डाल सकती है। मुझे लगता है कि धरौदी माइनर में यदि 10 से 15 क्यूसिक पानी भी डाल दिया जाये तो उससे वहां पर पीने का पानी और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकता है। यह राजनीतिक द्वेष का प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारा आपके माध्यम से पूरे सदन की ओर से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अगर आप सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाएं, पिछला रिकॉर्ड निकलवाएं तो आप यह पायेंगे कि केवल लेवल की कमी की वजह से धरौदी माइनर में पानी नहीं जाता है जबकि पहले यह पानी जाता रहा है। अगर पहले पानी जाता रहा है तो उन किसानों को क्यों बार–बार धरने पर बैठना पड़ रहा है? आप यह काम कर दीजिए वे आपके धन्यवादी होंगे और हम भी आपका धन्यवाद करेंगे। तीसरी बात जो बार–बार सदन में उठाई जाती रही है और यह सरकार के संकल्प से भी जुड़ी हुई है। स्पीकर सर, यह आपसे और पूरे उत्तरी हरियाणा से भी जुड़ी है। हरियाणा में लगभग सवा सौ से लेकर डेढ़ सौ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो डार्क जोन में चले गये हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसान के कुंए का पानी नीचे चला जाता है तो वह बड़ी मोटर नहीं लगा सकता और न ही उस इलाके में नया ट्यूबवैल का कनैक्शन सरकार देगी। इसके कारण अम्बाला का, कुरूक्षेत्र का और यमुनानगर जिले के बड़े हिस्से का किसान कहां जायेगा? जो हांसी–बुटाना परियोजना थी और इस तरफ जो दादूपुर नलवी परियोजना थी, उसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो इसको एग्जामिन

करवा लें। अध्यक्ष महोदय, दादूपुर नलवी परियोजना से एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। स्पीकर साहब, उस क्षेत्र से आप भी आते हैं। यह परियोजना एक सिंचाई परियोजना नहीं बल्कि रिचार्ज परियोजना थी लेकिन बनी बनाई परियोजना को उखाड़ कर फेंकने का काम शायद पहली बार किसी सरकार ने किया होगा। मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से मुख्यमंत्री जी से इस बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उन अधिकारियों द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई है। अगर सही जानकारी दी गई होती तो शायद कोई भी सरकार यह काम नहीं करती क्योंकि यह सीधे–सीधे किसान विरोधी कार्य था और इसमें सरकार का भी नुकसान था । आप अगर उस स्कीम को आगे पेहवा तक ले जाएं और इसको हांसी बुटाना परियोजना तक जोड़ दें तो अच्छा रहेगा लेकिन इसके लिए पेहवा में जो लेक है वहां पर सरकार को 300, 400, 500 एकड़ जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी । अगर सरकार चाहे तो दादुपूर नलवी परियोजना के पानी को हांसी–बुटाना नहर तक ले जाकर उस पानी को इस्तेमाल कर सकती है । जब भी यमुना नदी में पीछे से फालतु पानी आता है तो अभी तो हम उस पानी को आगे दिल्ली की तरफ छोड़ देते हैं ताकि बाढ़ न आ जाए । अब हांसी–बुटाना नहर का नाका कब टूटेगा यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है । अगर ऐसा हो जाता है तो वह पानी दक्षिणी हरियाणा तक भी चला जाएगा और उन इलाकों में जहां अभी पानी की तंगी है, वहां तक वह पानी पहुंच सकता है । मुझे यह इसलिए मालूम है क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में जब एक बार बाढ़ आई थी तो हमने वह सारा पानी हांसी–बुटाना नहर में डाला था जिसके बाद वह सारा पानी दक्षिणी हरियाणा तक गया था । उस पानी से कम से कम जोहड़ तो भर जाएंगे और एक सीजन की खेती दक्षिण हरियाणा में होने लग जाएगी । मंत्री जी, मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि धरौदी माइनर जो पहले बरवाला लिंक कैनाल के माध्यम से चलती आई है, एक बार आप उसके कागज मंगवाकर दोबारा से एग्जामिन करवाएं और इस दादुपूर नलवी प्रोजैक्ट को रिस्टोर करके उसे पेहवा की लेक से हांसी–बुटाना नहर तक ले जाईए । उससे यमुना नदी का जो एक सीजन का स्पेयर पानी आता है वह दक्षिण हरियाणा तक जा पाएगा । यह मेरा अनुरोध है ।

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा है कि हांसी–बुटाना नहर के माध्यम से दक्षिण हरियाणा को पानी चला जाएगा । वह मेरी समझ में नहीं आया कि हांसी–बुटाना नहर के माध्यम से दक्षिण

हरियाणा को पानी कैसे जाएगा ? क्या सुरजेवाला साहब उसके बारे में मुझे दोबारा से बताएंगे ? क्योंकि हांसी–बुटाना नहर तो आंटा हैड तक जाती है । उससे आगे तो दक्षिण हरियाणा जुड़ा हुआ है ही नहीं इसलिए इसके बारे में क्या वे मुझे दोबारा से बताएंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, श्री अभय सिंह जी पहली बार चुनकर आए हैं इसलिए उनको इसके बारे में पता नहीं है ।

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार चुनकर आया हूं इसलिए तो इसके बारे में मैं उनसे दोबारा से पूछ रहा हूं क्योंकि यह मेरी समझ में नहीं आया कि हांसी–बुटाना नहर का पानी दक्षिण हरियाणा में कैसे भेजेंगे ? आप मुझे यह तो बता दीजिए कि आंटा हैड से पानी आकर महेन्द्रगढ़ तक कैसे जाएगा ? यह मेरी समझ में नहीं आया । मैं वह समझने की कोशिश कर रहा हूं ।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन–चार इशूज हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूं । आपने हमारे जो 9 कालिंग अटैंशन मोशंज थे उन सभी को तो रिजैक्ट कर दिया है। हम सदन से बाहर जाकर अखबार वालों को बताएंगे कि आपने हमारे साथ क्या–क्या किया है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बता दीजिए ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी दो चीजें पूछना चाहती हूं कि आपने वर्ष 2015 में एक विधायक आदर्श ग्राम योजना लागू की थी जिसमें सभी विधायक अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र से कोई भी एक गांव को गोद ले सकते थे । उसके बाद विधायकों ने अपने गांव गोद लिए थे । मैंने भी अपने तोशाम क्षेत्र से एक गांव लोहानी को गोद लिया था । अब उसके विकास के लिए विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत पैसा लेना है जिसके लिए ए.डी.सी. साहब डी.सी. को पत्र लिखते हैं लेकिन कभी वह पत्र आगे जाता है और कभी वापिस आता है । अभी भी इस सरकार के दो महीने बचे हुए हैं इसलिए क्या मुख्यमंत्री जी तुरन्त प्रभाव से गांव लोहानी के विकास के लिए इस विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत पैसा भिजवाने का काम करेंगे ? मुख्यमंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मैं तो कागज–पत्र के माध्यम से तेजी से काम करती हूं । अतः आप उन ए.डी.सी. व डी.सी. को कहिए कि वह आपकी 'सबका साथ सबका विकास' स्कीम के तहत गांव लोहानी का पैसा तुरन्त रिलीज करें । इसके साथ ही अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि हरियाणा ग्रामीण चौकीदार संघ के कुछ चौकीदार मेरे पास आए थे जोकि

सबसे गरीब तबके के लोग हैं । जैसा उन्होंने मुझे बताया है कि उनको काम के बदले मुख्यमंत्री जी ने 10,200 रुपये महीना नकद व मोबाइल फोन देने की घोषणा की थी लेकिन सरकार ने अपना वह वायदा अभी तक पूरा नहीं किया है। अब उनको 10,200 रुपये की बजाए शायद 7 हजार रुपये मिल रहे हैं । वह कह रहे थे कि उनको मोबाइल भी नहीं मिला है । अतः मुख्यमंत्री जी, आप उन गरीब लोगों को बुलाकर उनकी समस्या का समाधान भी कीजिए । इसी के साथ फार्मेसिस्ट ऐसोसिएशन के लोग भी आन्दोलन के रास्ते पर हैं क्योंकि उनका समन्वय भी सही नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनका जो पैसा निर्धारित किया जा रहा है वह कम है और वह मांग ज्यादा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमें स्टाफ नर्स के बराबर वेतन दिया जाए क्योंकि इनका काम ज्यादा है और स्टाफ नर्स का काम कम है । मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी, आप उनका भी संज्ञान लीजिए। इसके अतिरिक्त अब मेरा तीसरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से यह है कि जिन 5100 युवाओं को एजुकेशन मोटिवेटर्ज के पद पर लगाया गया था, पहले तो इस सरकार ने इनको बाहर करने का काम किया लेकिन फिर सरकार ने इनको वापिस नौकरी में ले लिया। इन लोगों ने एडल्ट एजुकेशन के क्षेत्र में, सरकार की जन धन योजना के माध्यम से नए खाते खोलने में तथा आमजन से जुड़ी न जाने कितनी ही योजनाओं में अपना पूरा योगदान दिया है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि यह सभी के सभी युवा बहुत गरीब तबके से संबंधित हैं तथा इनके बहुत बुरे हाल हैं, यदि सरकार की तरफ से इनको एजुकेशन डिपार्टमैंट में समायोजित कर लिया जाता है तो यह लोग दर–बदर की ठोकरें खाने से बच जायेंगे। मेरा चौथा विषय माननीय मुख्यमंत्री जी से यह है कि हमारी सरकार के समय सांसद श्रुति चौधरी के नेतृत्व में भिवानी, महेन्द्रगढ़ तथा चरखी दादरी को एन.सी.आर. का क्षेत्र घोषित करवाया गया था और एन.सी.आर. के इन एरियॉज में ग्रीन कोरिडोर के लिए जो एक्विजिशन ऑफ लैंड किया जा रहा है, उसकी कंपनशेसन के तौर पर जो रेट तय किए गए हैं वह रेट्स अन्य दूसरे एन. सी.आर. एरियॉज के कंपनशेसन रेट्स से बहुत कम हैं जिसके लिए इस एरिया के किसान आंदोलनरत हैं। मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन किसानों को बुलायें और इनसे बात करें तो पता चलेगा कि इन किसानों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। यह इस सरकार का आखिरी सैशन है। अगली विधान सभा का कौन सदस्य होगा और कौन नहीं होगा दैट इज ए सैपरेट स्टोरी लेकिन जो

डिमांड्ज आज सदन में की जा रही हैं, यदि सरकार की तरफ से इनको पूरा किया जाता है तो निश्चित तौर से मैं सरकार की बहुत–बहुत धन्यवादी होंगी। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों को तत्काल स्कीम के तहत दिए जाने वाले ट्यूबवैल कनैक्शंज पर एक ध्यानाकर्षण सूचना दी थी। तत्काल स्कीम के तहत किसानों से पैसे तो जमा करवा लिए गए लेकिन उनको ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज जारी नहीं किए गए। सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात करती है। यदि तत्काल स्कीम के तहत किसानों को ट्यूबवैल कनैक्शंज जारी हो जाते हैं तो इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। मेरी ध्यानाकर्षण सूचना किसानों के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर दी गई है। मुझे इसका फेट बताया जाये?

श्री अध्यक्षः दलाल जी, आपकी ध्यानाकर्षण सूचना को सरकार के पास भेजा गया था जिस पर कमेंट्स आ गए हैं और इसको स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान फरीदाबाद जिले में बिगड़ती कानून–व्यवस्था के विषय पर दिलाना चाहता हूँ। पिछले दो महीने से फरीदाबाद में कानून–व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। आये दिन मर्डर, बलात्कार, छीना–झपटी और डकैती की घटनायें हो रही हैं और लोगों में पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया है। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद गए थे और वहां पर एक कांग्रेसी नेता की हत्या पर कुछ ऐसा हल्का बयान देकर आये कि उस कांग्रेसी नेता की गलत प्रवृत्ति के कारण उनके साथ यह घटना हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यदि इस कांग्रेसी नेता का गलत प्रवृत्ति के कारण मर्डर हुआ है तो इस नेता के मर्डर से पहले जो चार मर्डर हुए थे तथा इस नेता के मर्डर की घटना के बाद जो तीन मर्डर हुए, क्या इन लोगों की प्रवृत्ति भी गलत थी? अध्यक्ष महोदय, एक आधी हत्या आपसी रंजिश के कारण हो सकती है लेकिन यहां पर तो आए दिन रोड–रेज तथा छीना–झपटी की घटनायें हो रही हैं, यह किस बात की ओर इशारा करती हैं? अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में आज बदमाशों तथा हत्यारों को पुलिस और कानून का कोई डर नहीं है। यह लोग वारदात करके उत्तर प्रदेश में भाग जाते हैं और पकड़े नहीं जाते और इस तरह की भी बातें करते हैं कि बाद में दो–तीन करोड़ रूपये देकर फैंसला करवा लेंगे। इन सभी बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जितनी वारदातें अकेले फरीदबाद जिले में हो रही हैं इतनी तो पूरे हरियाणा प्रदेश में भी नहीं हो रही हैं। अतः इस सदन के माध्यम से मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि

फरीदाबाद जिले में पुलिस और कानून–व्यवस्था को सुधारने की बहुत जरूरत है ताकि लोगों में पुलिस और कानून–व्यवस्था का डर बना रहे। अध्यक्ष महोदय, मेरी राय तो यह भी है कि यदि सरकार इन गुंडों, बदमाशों तथा हत्यारों का काउंटर अटैक करके सफाया करने जैसा कोई फैसला कर ले तो बहुत बढ़िया होगा इससे इन लोगों में कानून एवं व्यवस्था के प्रति डर की भावना बढ़ेगी और अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा' राज्य में बढ़ते अपराध बारे' एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया हुआ है आपको उसको स्वीकार करते हुए सदन में चर्चा करवानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं के बारे में सदन को बताना चाहता हूँ। मुजहेड़ी गांव के श्री भंवर लाल की सिंह पुल पर सरेआम बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई। श्री प्रवीण कौशिक जो एक प्राइवेट कंपनी में बतौर मैनेजर काम करता था, उसकी मेन बाई–पास रोड पर बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई। इसी प्रकार श्री विकास चौधरी की भी हत्या कर दी गई। एक पत्रकार के इकलौते बेटे श्री विनय शर्मा की भी बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई। श्रीमती सुधा नाम की एक औरत से छीना–झपटी के कारण बदमाशों ने चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी। इस तरह से फरीदाबाद में बदमाशों द्वारा अनेकों हत्याओं के केसिज़ हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इन केसिज़ पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और इन केसिज़ से सबक लेकर जो फरीदाबाद आज उजड़ता जा रहा है, उसको बसाने का प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहता हूँ कि कुछ किसान फरीदाबाद के अंदर दो अलग–अलग जगहों पर धरने पर बैठे हुए हैं। एक जगह पर तो आई.एम.टी. के लिए एक्वायर की गयी जमीन के मुआवजे के लिए किसान धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन आज तक उन किसानों का कोई हल नहीं निकला है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई प्रयास ही नहीं किया है। सरकार ने धरने को खत्म करने के लिए प्रयास तो किया है लेकिन उस समस्या का आज तक कोई हल नहीं निकला है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में एक बार दोबारा से फिर प्रयास करें और उन किसानों की समस्या का निपटारा करें। इस तरह से हमारे 19 गांवों के किसानों को माननीय उच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि आप लोगों को 1860 रुपये प्रति गज के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। लेकिन मौजूदा सरकार ने फिर माननीय उच्च न्यायालय जाकर उन किसानों का मुआवजा 1760 रुपये प्रति गज के हिसाब से करवा दिया लेकिन वह कम किया हुआ मुआवजा भी सरकार

द्वारा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सरकार ने किसानों की मुआवजे की राशि को कम करवाया हो। यदि सरकार ने उन किसानों का मुआवजा कम भी करवा दिया तो आज वे किसान कम मुआवजा लेने को भी तैयार हैं। मैं उन किसानों को सरकार द्वारा बताए गए स्थान पर लेकर आ जाऊँगा और सरकार अपने किसी नुमाइंदे की ड्यूटी लगाएं ताकि उन किसानों से बातचीत करके सैटलमैंट हो जाए। इस तरह से 5–5 वर्षों से चले आ रहे किसानों के केसिज़ का निपटारा किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में किसान भी सरकार से बातचीत करने को तैयार है लेकिन सरकार ही किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। एक बार वे किसान हरियाणा भवन, नई दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले थे फिर भी उन किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम फरीदाबाद के अंदर अगर सूरजकुंड रोड पर जाते हैं तो देखते हैं कि अरावली की पहाड़ियों पर जगह–जगह पर बाउण्ड्री वॉल बनाने काम काम चल रहा है। किसी आदमी ने 20 एकड़ में बाउण्ड्री वॉल बना दी है, किसी आदमी ने 50 एकड़ में बाउण्ड्री वॉल बना दी है और किसी आदमी ने 100 एकड़ तक में बाउण्ड्री वॉल बना रखी है। मौजूदा सरकार जो अपने आप को एक ईमानदार सरकार कहती है, क्या वह सरकार एक कमेटी बनाकर इस तरह के अवैध कब्जे से संबंधित जांच करवायेगी? मैं इस महान सदन का मैम्बर होने के नाते कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ बल्कि सच्चाई के साथ तथ्य पेश कह रहा हूँ कि अरावली पहाड़ पर 50–50, 100–100 एकड़ में बाउण्ड्री वॉल हो रही है। पहाड़ों को तोड़कर मैदानी इलाका बनाया जा रहा है और मिट्टी डालकर भरत की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमें दो प्रकार का नुकसान हो रहा है। एक तो ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है और दूसरी तरफ एन.जी.टी. ने जो पर्यावरण के हिसाब से रोक लगा रखी है, उसका उल्लंघन हो रहा है। अवैध खनन माफिया वहां पर पनप रहा है। समतल भूमि बनाकर बड़े–बड़े बैंक्वेट हॉल आदि बनाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों के अंदर सरकार की तरफ से सीवरेज पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक–एक गली में लगभग 100–100 घर हैं और 100–100 घरों के लिए सीवरेज का केवल 6 ईंच का पाइप बिछाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या 100 घरों के लिए 6 ईंच सीवरेज के पाइप से सप्लाई हो सकती है? यह सवाल कॉलोनीवासियों की जुबान पर रहता है।

इस प्रकार से सरकार का 150 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट बर्बाद हो जायेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि सरकार 6 ईंच की जगह एक फीट का पाइप उन कॉलोनीज में बिछा दें तो सरकार का पैसा जायज जगह पर लग जायेगा और कॉलोनीज के लोगों को उनका हक भी मिल जायेगा। हर कॉलोनी वासी यही कहता है कि सीवरेज के लिए 6 ईंच के पाइप से कुछ भी नहीं होगा। (विघ्न)

श्री मूल चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 6 ईंच का पाइप सीवरेज का नहीं होगा बल्कि वह पानी की सप्लाई पाइप का होगा। (विघ्न)

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि सरकार इस मैटर को चैक करवा लें क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री मूलचंद शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि वे इस विषय पर मेरा विरोध न करें । वहां पर 6–6 इंच के पाइप डाले जा रहे हैं । इस तरह से वहां पर गड़बड़ की जा रही है और सीवर पाइप लाइन के नाम पर जनता के 150 करोड़ रूपये पानी में जा रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो ? (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात का इसलिए विरोध कर रहे हो क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूं । आप उस पाइप लाइन की जांच करवा लीजिए । यह सिर्फ 2 घंटे का काम है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है, इसलिए मेरा निवेदन है कि मैंने जो 4–5 प्वॉयंट्स बताये हैं उन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए । इससे सरकार को ही फायदा होगा ।

विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा वापिस लेना

(i) श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. के विरूद्ध

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक द्वारा श्री करण सिंह दलाल, विधायक के विरूद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का आठवां प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखेंगे ।

Chairperson, Committee on Privileges (Shri Ghan Shyam Dass) : Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege

given notice of by Shri Gian Chand Gupta, MLA against Shri Karan Singh Dalal, MLA for misleading the House on 29th August, 2016, and he has stated that the 30% share of the whole amount under the Fasal Bima Yojna goes to the pocket of Ministers, which is totally false. He has no evidence in this regard and explanation given by him is also misleading and maligned the dignity of the House.

Sir, I also beg to move that the time for presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आपने हरियाणा के इस महान सदन की अध्यक्षता करते हुए पिछले 5 वर्षों में अनेक श्रेष्ठ परम्पराओं को निभाया है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हर साल 3 सत्र बुलाने के अपने वायदे को निभाया है । स्पीकर सर, आपने इसी सिंहासन पर विराजमान होते हुए इस सदन में दिगम्बर संत श्री तरूण सागर के प्रवचन भी करवाये थे । मैं माननीय सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला, आदरणीय बहन श्रीमती किरण चौधरी को धन्यवाद करता हूं कि जब सदन में जैन मुनि श्री तरूण सागर के प्रवचन करवाने की बात आई तो इन्होंने इस बात को खुशी–खुशी मान लिया । Speaker Sir, It is the only example in India. हम सब 90 सदस्यों ने पार्टी की दीवारें तोड़ते हुए जैन मुनि श्री तरूण सागर के प्रवचनों को सदन में पूरे ध्यान से सुना और सदन में ऐसी महान परम्परा की शुरूआत की । स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि now let us end in the good mood. माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल, माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा और पूर्व विधायक श्री केहर सिंह के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशंज चल रहे हैं उनके बारे में मेरा विचार है कि इन माननीय सदस्यों ने सदन में जो बातें कही गई होंगी, वे आवेश में आकर कही गई होंगी । सदन में कभी–कभी इस तरह की बातें हो जाया करती हैं लेकिन इन सब बातों को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं चाहूंगा कि जिन सदस्यों की ओर से इस तरह के आरोप लगाए गए थे, उनको वापस लिया समझा जाए व जिन माननीय सदस्यों के विरूद्ध आरोप लगाए गए थे उनकी तरफ से भी आगे कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से एक निवेदन करना

चाहता हूं कि यदि सदन की सहमति हो तो इन सभी प्रिविलेज मोशंज को विद्ड्रॉ कर लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रिविलेजिज कमेटी के पास 3 प्रिविलेजिज मोशंज हैं । अगर हाउस की सहमति हो तो इन तीनों प्रिविलेजिज मोशंज को विद्ड्रॉ कर लिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इन तीनों प्रिविलेजिज मोशंज जोकि श्री करण सिंह दलाल, विधायक, श्री कुलदीप शर्मा, विधायक और श्री केहर सिंह, पूर्व विधायक के विरूद्ध थे, को विद्ड्रॉ किया जाता है ।

.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 5 अगस्त, 2019 दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

***16:24 बजे**

(तत्पश्चात् सभा सोमवार, दिनांक 5 अगस्त, 2019 दोपहर 2:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)